खण्ड-267, अंक-4
गुरूवार, 30 आषाढ़, शक संवत् 1888
(21 जुलाई, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 267 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATIVE ASSEMBLY
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २१ जुलाई, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हफीज खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवधेशनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जो० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंचईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री

(उपनाम छुन्नन गुरु)

कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशरनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधार मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरधरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ यादव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जबीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्फन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
त्रिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देशीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बच्चनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री

बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह बैस, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
मातप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री

मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल गोयलवाल, श्री
मेहरीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनपाल, आचार्य
मोहनलाल झाझिरवार, श्री
मोहनलाल बर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह बर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार कलौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर बर्मा, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद वेशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन बकोल, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखनसिंह, श्री
ललई सिंहसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला सायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री,
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुखमाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुखीजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलधर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हीरालाल यादव, श्री

गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह, तथा गृह राज्यमन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २१ जुलाई, १९६६

तारांकित प्रश्न

दोहरीघाट विकास खंड में ब्रुश उद्योग सोसाइटी

*१—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के दोहरीघाट, विकास खंड के अन्तर्गत ब्रुश उद्योग सोसाइटी, नई बाजार, को जनवरी, सन् १९६५, में जो अनुदान विकास खंड के माध्यम से दिया गया था, उसमें किस-किस किस्म के ब्रुश तैयार हो रहे हैं और उसका कारखाना किस मुकाम पर है तथा उसके सदस्यों की एक सूची मेज पर रखेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जी हां। ब्रुश तैयार नहीं होते हैं बल्कि सोसाइटी ब्रुश संबंधी कच्चे माल (सूअर के बाल) के ड्रेसिंग का कार्य करती है। कारखाना नई बाजार में है। सदस्यों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६८ पर)

*२—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि उल्लिखित अनुदान विमुक्त जातियों की सोसाइटी के लिये था और उस सोसाइटी में विमुक्त जाति का कोई सदस्य नहीं है बल्कि एक ही परिवार के कुछ आदमियों ने फर्जी सोसाइटी बना कर तत्कालीन विकास खंड अधिकारी को मिला कर सरकारी धन को हड़प लिया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां। एक सदस्य विमुक्त जाति का भी है। सोसाइटी के कागजात में धन नियमानुसार दर्ज है, अतएव सरकारी धन हड़पने का प्रश्न नहीं उठता।

*३—श्री उमाशंकर—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बता सकते हैं कि खंड विकास अधिकारी ने बिना क्षेत्र समिति के प्रस्ताव के इतनी बड़ी रकम क्यों दी तथा क्या उक्त रकम वसूल करने की कार्यवाही की जायगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस संबंध में जांच अभी जारी है।

श्री उमाशंकर—

मान्यवर, मेरी सूचना है कि वहां कोई कारखाना नहीं है और उस सोसायटी के पैसे को एक-दो आदमियों ने आपस में बांट लिया है और बी० डी० ओ० का इसमें खास हाथ है। तो क्या सरकार इस पर कोई सख्त कार्यवाही करके उस धन को वसूल करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जांच करने से इतना तो मालूम हुआ है कि यह सोसायटी बाकायदा है। यह कार्यक्रम विशाल रूप में नहीं है बल्कि बहुत सूक्ष्म रूप में है।

श्री उमाशंकर—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस सोसायटी में विमुक्त जाति का एक सदस्य है और बाकी सब सदस्य दूसरे लोग हैं जो कि एक ही परिवार के हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जहां तक विमुक्त जाति का प्रश्न है, मैं इस बात से सहमत हूं कि यह विमुक्त जाति के लिये धन था और इस सोसायटी में एक ही विमुक्त जाति के सदस्य हैं और ६ अन्य जातियों के लोग हैं। मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य को भ्रम होगा क्योंकि जो सदस्य हैं उनको विभिन्न जातियों के नाम दिये गये हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सोसायटी को कितना रुपया दिया गया और क्या यह सही है कि सोसायटी को रुपया नहीं दिया गया बल्कि फर्जी तरीके से रुपया लेकर कुछ लोग खा गये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो अभी तक सूचना मिली है उसके अनुसार नियुमानुसार रुपया दिया गया और नियमानुसार वह कागजों में है क्योंकि यह इस प्रकार से धन दिया गया जो कि विमुक्त जातियों के लिये ही देना चाहिये। इसकी जांच अभी जारी है और जब सम्पूर्ण जांच हो जायेगी तब उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सदस्य विमुक्त जाति के हैं, वे कौन-कौन सदस्य हैं और उनको कितना-कितना रूपया दिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कई जातियों के हैं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि कई सदस्य उनमें एक ही परिवार के हैं, उनको रुपया दिया गया है, तो माननीय मंत्री उस सोसायटी के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिस क्षेत्र का इसमें मामला था, वहां के बी० डी० ओ० का वहां से तबादला हो गया। नियोजन अधिकारी जो हैं उन्होंने वहां जाकर मालूम किया जहां उनका तबादला हो गया था। उनको बुला कर उनसे स्पष्टीकरण लेना चाहा। बी० डी० ओ० की पत्नी बहुत सीरियसली बीमार थीं इस वजह से उन्होंने अपनी बात कहने के लिये समय मांगा, इस वजह से रिपोर्ट नहीं आयी। अतः सरकार का तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में कहा है कि विकास खंड से कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ जब कि उस अनुदान को देने के पूर्व सोसाइटी या विकास खंड से प्रस्ताव पास होना चाहिये था और उसके बाद अनुदान मिलना चाहिये था। इस अनियमितता का कारण क्या है ? और अगर यह अनियमितता हुई है तो उस अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि प्रस्ताव नंबर २ पारित हुआ और उसकी एक बैठक हुई लेकिन यह मालूम नहीं हुआ कि वह विकास खंड की बैठक हुई या क्षेत्र समिति की हुई ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि कुल कितने हजार रुपये का अनुदान दिया गया ? दूसरी बात यह जांच में आयी, जैसाकि आपने कहा कि वहां की सोसाइटी काम कर रही है तो क्या उसका भवन बना है या किराये के मकान में है ? क्या यह भी जांच की गयी कि वहां क्लर्क वगैरा भी मौजूद थे ? क्या इन बातों की जांच की गयी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह पूछा गया था कि सोसाइटी कहां से कार्य कर रही है। इसलिये उस जांच के आधार पर बताया गया कि नयी बाजार में उसका कारखाना है। अब नयी बाजार में किराये की बिल्डिंग में है या अपनी बिल्डिंग में थी, इसकी सूचना नहीं मंगायी गयी। इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। आवश्यकता इस बात की थी कि जिस सोसाइटी को रुपया दिया गया उसको वह दिया जाना चाहिये था अथवा नहीं और जो रुपया दिया गया उसका ठीक से उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

यह सोसाइटी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड ? और अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या रुपया देने से पहले उसके पिछले वर्ष की बैलेंस शीट देखी गयी थी अथवा नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय अध्यक्ष, यह जो है यह विमुक्त जाति का गठन है और उसी के लिये रुपया दिया गया था।

श्री उमाशंकर—

श्रीमन्, मुझे मालूम है कि यह रुपया एक-दो आदमियों ने खा लिया है और सोसाइटी के मेम्बर ऐसे आदमी हैं कि उनको कुछ मालूम नहीं है और वह इन लोगों के दबाव में हैं, तो क्या मंत्री जी सी० आई० डी० से इसकी जांच करायेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, यह कह दिया गया है कि जांच अभी जारी है, पूरी जांच के बाद अगर नियमानुकुल नहीं है तो कार्यवाही होगी और रुपया वापसी के लिये भी आदेश दिये गये हैं।

श्री उमाशंकर—

क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि जो जांच होगी उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जायगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो कार्यवाही होगी, जिले के सदस्यों को मालूम हो जायगी।

सहारनपुर जिले में डकैती व चोरी की वारदात

*४—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) तथा श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिले तथा नगर में दिनांक १ जनवरी, १९६६ से १७ फरवरी, १९६६ तक कितनी डकैती तथा चोरी की वारदात किस-किस दिन हुई ? और उनमें से कितने मामलों में पुलिस कार्यवाही हुई और क्या ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

कब तक सूचना एकत्र होगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सवाल पहले दिया गया था उसके बाद सेशन प्रोरोग हो गया। १० जून को नोटिस दिया गया है और लिखा गया है कि जल्दी से सूचना भेजें।

श्री अध्यक्ष—

अगले सप्ताह में दे देंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कल उनको फिर यादहानी कराई है और कहा है कि तुरन्त उत्तर भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके उनको याददहानी करायें और इसकी सूचना जल्द आनी चाहिये।

सिंगेरा निवासी श्री विन्ध्याचल के घर डकैती

*५—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के थाना मरदह के ग्राम सिंगेरा के विंध्याचल के घर में अप्रैल, १९६६ में डाका पड़ा था, जिसमें १५,३०० रु० का माल डाकू ले गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, गाजीपुर जिले के थाना मरदह के ग्राम सिंगेरा के निवासी, श्री विंध्याचल के घर पर दिनांक २५-२६ अप्रैल, १९६६, को डाका पडा जिसमें रु० १५,३०० का माल लूटा गया।

*६—श्री कमलासिंह यादव—

क्या उपरोक्त डाके के सम्बन्ध में डाकुओं ने कोई नोटिस डाका डालने की दी थी जिस पर दो बन्दूकधारी सिपाही तैनात हुए और डाके के दिन बन्दूक वाले सिपाही हटा लिये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस डाके के सम्बन्ध में डाकुओं की ओर से कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ था। वादी की सूचना पर और थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर दो बन्दूक-धारी सिपाही बंदूकों के साथ गश्त के लिए भेजे गये थे। डाके के दिन और स्थानों पर गश्त भेजने के कारण केवल एक सिपाही लाठी से लैस चौकीदारी के साथ इस गांव को भेजा गया था।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि इस डाके के सम्बन्ध में आसपास के लोगों के घर में मुद्दई के घर का कपड़ा व सामान रखकर उनका चालान किया जा रहा है और सही मुलजिम जो बाहर के थे उन को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसा कोई कायदा नहीं है कि किसी के घर में कपड़ा या सामान रखकर उसको पकड़ा जाय, जहां सामान मिलता है उसी को पकड़ने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी सूचना मंगाकर इसकी जांच सी० आई० डी० के द्वारा करवायेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, ऐसी किसी ने शिकायत नहीं की, कि हमको झूंठा पकड़ा जा रहा है और इसकी पुलिस जांच करे ।

श्री रघुवीरराम—

क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थाने में जो रिपोर्ट की गयी है वह किन-किन व्यक्तियों की नामजद है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, मैं यह प्रश्न नहीं समझ पाया हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि रिपोर्ट में किस-किस के नाम दर्ज हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

महाबीर सिंह यादव, विश्वनाथ प्रसाद, राम बख्श यादव और श्यामा अहीर हैं ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन-जिन व्यक्तियों के नाम हैं क्या वे पकड़े गये हैं और इनके अलावा और कौन-कौन व्यक्ति हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसमें कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं और कुछ अदालत में हाजिर हो गये हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

जिस दिन डकैती पड़ी उससे पहले वहां पर कई आदमी पुलिस के लगे हुए थे लेकिन जिस दिन वहां पर डकैती पड़ी उस दिन वहां पर पुलिस के आदमी नहीं थे, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करा-कर बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस डकैती में शामिल थी ?

श्री अध्यक्ष—

शामिल थी और साजिश थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वहां पर ११ सिपाही गश्त के लिए मौजूद थे । इस गांव के पास एक गांव मिर्जापुर है । ऐसी सूचना मिली कि डकैती वहां पर न पड़कर गांव मिर्जापुर में पड़ने का अन्देशा है । सलिए कुछ पुलिस वालों को वहां से हटा कर उस गांव में लगा दिया गया और इस गांव में केवल एक सिपाही और एक चौकीदार रखा गया ।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि बन्दूकधारी सिपाही हटाकर वहां पर लाठीधारी सिपाही लगा दिया गया तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि वहां से बन्दूकधारी सिपाही क्यों हटाये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मैंने, श्रीमन्, पहले ही निवेदन किया कि सिपाहियों की संख्या बहुत कम थी। बन्दूक देने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम दो सिपाही अवश्य हों। चूंकि वहां पर एक सिपाही और एक चौकीदार ही रखा गया था इसलिये उसे लाठी ही दी गयी थी।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थाना अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी, जिसको सूचना थी कि गांव में डकैती होने वाली थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

१६ तारीख से २ सिपाही वहां पर मौजूद थे। डकैती नहीं पड़ी। जब सूचना मिली कि कहीं और डकैत इकट्ठे हो रहे हैं तो वहां दो सिपाहियों को भेजा गया और यह डकैती पड़ी २५-२६ की रात को।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि दूसरे गांव में भी डकैती पड़ने वाली है तो उस ने जनरल डायरी में कोई इसका इंदराज किया ? और यदि किया तो एस० पी० से फोर्स मंगाने के लिये क्यों उसने कोशिश नहीं की ? और जो दो सिपाही गांव में गश्त लगा रहे थे उनको हटाने की क्यों जरूरत पड़ी ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, प्रश्न यह है कि अगर कम तादाद में सिपाही थे तो यह जानते हुये कि वहां डकैती पड़ने वाली है और पुलिस क्यों नहीं बुलवा ली गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जैसा मैंने पहले कहा, १० रोज तक लगातार सिपाही रहे, डकैती नहीं पड़ी और २५-२६ को डकैती पड़ी। इत्तला थी कि दूसरी जगह पड़ेगी। वहां इंतजाम किया गया और डकैती यहां पड़ गई।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, हमारा तो सिर्फ सिम्पिल सवाल था कि जब दो आदमी उस गांव में तैनात किये गये थे और यह मालूम हुआ कि और गांव में डकैती पड़ने वाली है तो फोर्स मंगा कर क्यों नहीं इंतजाम किया गया और उस गांव की पुलिस को क्यों हटा दिया ?

श्री अध्यक्ष--

मैं यह समझता हूं कि वह कह रहे हैं कि उनको जिस दिन आशंका थी उस दिन चोरी नहीं हुई।

रिटायरमेंट एज

*९--सर्वश्री हलीमुद्दीन, (जिला मुरादाबाद) रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि मुख्य मंत्री ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि मुलाजिमों के रिटायरमेंट की आयु ५८ से नहीं बढ़ाई जावेगी, लेकिन अप्रैल, १९६६, में सरकार ने एक जी०ओ० रिटायरमेंट आयु कम करने का निकाला है; उससे पहले का जी० ओ० जारी हो चुका है जिसमें रिटायरमेंट की एज बढ़ाई गई थी ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)--

अप्रैल, ६६ के आदेशों में रिटायरमेंट की आयु ५८ से कम नहीं की गई है।

*८—सर्वश्री हलीमुद्दीन, रियासत हुसैन तथा मुमताज मुहम्मद खां—

१२ अप्रैल, १९६६, के जी० ओ० में जो शब्द अदर एक्सरेज लिखा गया है, उससे सरकार का क्या मतलब है, उसको किस तरह नापा जायगा ? क्या सरकार ने वर्तमान खुफिया जी० ओ० पर एल० आर० की ओपीनियन ली थी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस सम्बन्ध में और विचार करने के लिये भारत सरकार से परामर्श किया गया है ।

*९—सर्वश्री हलीमुद्दीन, रियासत हुसैन तथा मुमताज मुहम्मद खां—

इस समय जब कुछ लोग पहले जी० ओ० का फायदा उठा चुके हैं तो दूसरों को इस फायदे से वंचित करने की नीति अपनाने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस सम्बन्ध में भी और विचार करने के लिये भारत सरकार से परामर्श किया गया है ।

श्री हलीमुद्दीन—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे जो जी० ओ० १२ अप्रैल, १९६६, को निकला है श्री के० के० दास के दस्तखत से तो आपके जवाब में और उसमें अन्तर क्यों है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

वह जी०ओ० उस जी०ओ० के मोडिफिकेशन में गया था जो १९ अक्तूबर, १९६३, को निकला था। उस में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा था कि बिलो ऐवरेज जो रहेंगे उन को छोड़ कर के बाकी लोग सर्विस में रहेंगे। लेकिन १२ अप्रैल, १९६६, को जो जी० ओ० निकला उस के बजाज ६ में जब ध्यान आकर्षित हुआ सरकार का तो इस सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राय मांगी है और उनकी राय अंतिम होगी और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार विचार करेगी ।

(व्यवधान)

श्री हलीमुद्दीन—

कोई अमलदरामद तो नहीं हो रहा है इस जी० ओ० पर ?

श्री अध्यक्ष—

वह इस समय प्रभावी है या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह प्रभावी है ।

श्री हलीमुद्दीन—

अभी यह फरमाया गया कि भारत सरकार द्वारा पहले से इसको लागू कर दिया गया ।

श्री बंशीधर पांडेय—

जब यह जारी कर दिया गया तो जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है यह प्रभावी है ही । इसके अलावा सरकार ने उसे और अच्छी तरह से सफाई के लिए गवर्नमेंट आफ इन्डिया को रिफर किया है ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि जो जी०ओ० जारी किया गया था ५५ से ५८ तक एक्सटेंशन के संबंध में उसमें था कि पिछले ३ वर्षों के कैरेक्टर रोल को देखा जायगा लेकिन अब पूरे कैरेक्टर रोल को देखने के लिये कहा गया है ? तो सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों के तीन वर्ष के कैरेक्टर रोल के अच्छा रहने की बात थी उनको उससे वंचित क्यों किया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

माननीय सदस्य की सूचना गलत है । ३ साल नहीं है, यह ५ साल है। इस जी० ओ० में केवल माडिफिकेशन अबव एवरेज का है । बाकी जी०ओ० में कुछ नहीं है, दी लास्ट फाइव ईयर्स शुड बी टेकेन इन्टु एकाउन्ट," ५ साल का है ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय(जिला गोरखपुर)---

माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि दूसरा जी० ओ० जो निकला है उसमें माडिफिकेशन किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पूरी सर्विस को देखकर तब रिटायरमेंट की एज फिक्स की जाय और पहले में ५ साल का है तो इन दोनों में जो फर्क है उससे इम्पलाइज के दिमाग में कुछ भ्रम है, इसको सफाई करने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

माननीय सदस्य शायद समझे नहीं । दूसरा जी० ओ० जो है वह इस बात का नहीं निकला है । दूसरा जी०ओ० माडिफिकेशन के लिए है । उसमें ५ साल की बात है । जगह जगह उस दूसरे जी०ओ० में माडिफिकेशन है, १९ अक्तूबर, ६३ के जी० ओ० का, जिसमें यह लिखा है कि वे आदमी रिटेन किये जायेंगे जो अबव एवरेज होंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, आपके अबव एवरेज का क्या मतलब है, इसको क्लेरिफाई कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---

जो जी०ओ० है उसमें केवल यह लिखा हुआ है जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठतर हो । अब किस तरह से सामान्य स्तर से श्रेष्ठतर निश्चित होगा, यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अलग-अलग उसके स्वविवेक से निश्चय होगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

आपने आश्वासन दिया है कि इस उत्तर प्रदेश के राज-काज संबंधी परिपत्र हिन्दी में जायेंगे और उन्हें ही आप स्वीकार करेंगे । अभी बंशीधर पांडेय ने जो पढ़ कर सुनाया है वह अंग्रेजी में है । ऐसा प्रतीत होता है कि वह परिपत्र अंग्रेजी में गया है और श्री के० के० दास के दस्तखत से गया है ? मैं पूछना चाहता हूं क्या यह उचित है इस सरकार के लिये यदि इस प्रदेश की राज भाषा हिन्दी है तो मुख्य सचिव निरन्तर सारे सदन तथा प्रदेश की अवहेलना करके अंग्रेजी में परिपत्र भेजते रहें ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं तो सब हिन्दी में बोल रहा हूं । जो जी०ओ० जाता है वह हिन्दी अंग्रेजी दोनों में होता है । मैं हिन्दी में जवाब दे रहा हूं जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न इनका केवल यह है कि क्या यह राजाज्ञा हिन्दी में भी जारी हुई है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

हुई है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

मंगा लीजिये, आप ।

श्री अध्यक्ष--

हां, हां, मंगा लेंगे ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मान्यवर, मेरे इस सवाल का जो जवाब दिया गया है वह पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है । "एबव ऐवरेज" का इस सवाल के अन्दर मतलब मालूम किया गया है । तो क्या माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे कि इसका क्या मतलब है "एबव ऐवरेज" और किस बात पर भारत सरकार से परामर्श किया जा रहा है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जब यह ५५ से ५८ वर्ष करने की बात आयी तो उस समय एक डिटेल्ड जी०ओ० गया १९ अक्तूबर, १९६३, को जिसमें है कि पिछले ५ सालों का कैरेक्टर रोल उस कर्मचारी का जिसको देना है एक्सटेंशन उस समय देखा जायगा । उसमें यह है कि बिलो ऐवरेज नहीं होगा । इसके माने यह हैं कि जो ऐवरेज होंगे और एबव ऐवरेज होंगे उनको रखा जायगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

स्पष्टीकरण सुन लें ।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, इस जी०ओ० में था कि जो "एबव ऐवरेज" होंगे । तो इसको तय करने के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से पूछा गया है । पहले बिलो ऐवरेज था लेकिन बाद में आर्डर 'एबव ऐवरेज, हो गया । इसलिये यह हुआ कि इसमें बहुत से एबव ऐवरेज और बिलो ऐवरेज रह जायेंगे । इस पर प्रदेशीय सरकार ने क्लैरिफिकेशन मांगा है ।

(व्यवधान)

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

इसका मापदंड क्या है, इसको बताना चाहिये ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मापदंड तो पांच साल का कैरेक्टर रोल है । उसको देख कर ही तो मापा जायगा ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

एबव ऐवरेज की बात का, जिसके अन्दर कोई कैरेक्टर रोल में खराबी न हो उसको आपने माना है कि एबव ऐवरेज । तो क्या यह सच है कि इस जी०ओ० के बाद भी वह अफसरान और वह पदाधिकारी जिनका कैरेक्टर रोल खराब है और जिनकी तन्दुरस्ती भी इजाजत नहीं देती फिर भी उनको तीन साल का एक्सटेंशन देते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

ऐसा तो किया नहीं जाता है । आपके विभाग में कोई केस होगा तो जरूर देख लेंगे ।

श्री हलीमुद्दीन--

क्या सरकार भारत सरकार के जी० ओ० का नम्बर और तारीख बतायेगी जिसके मातहत एवरेज का नोट दिया है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं नम्बर नहीं बता सकता । जब वह गवर्नमेंट आफ इंडिया से आयेगा तब हम अखबार से सकते हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी इन दोनों जी०ओ० को जो पहला और दूसरा है, पढ़ने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि पहले जी०ओ० में ५ साल का पीरियड दिया है। अगर ५ साल तक सर्विस करता है और एवव एवरेज है और दूसरे में दिया हुआ है कुल सर्विस का और बिलो एवरेज है तो दोनों में एक दूसरे का कंट्राडिक्शन है और ५ साल तक सर्विस पूरी नहीं करता है तो मंत्री जी इन चीजों को देखते हुए जैसा कि वक्तव्य दिया है कोई दूसरी राजाज्ञा जारी करने की कृपा करेंगे जिससे स्थिति साफ हो जाय और कर्मचारी आपके मुताबिक सुविधा हासिल कर सकें ?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, इसमें कोई भ्रम नहीं है। मैंने साफ किया कि माननीय सदस्य के विभाग में भ्रम है। जब क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट आफ इंडिया से आ जायेगा तो भ्रम दूर कर दिया जायेगा।

गोंडा में ताजिया दफनाने का मामला

*१०--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा शहर में १०वीं (२ मई, ६६) का ताजिया-जुलूस नहीं निकला और दफनाया न जा सका जिससे भीषण साम्प्रदायिक तनातनी बनी हुई है? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाया गया और दोषी कौन है?

गृह मंत्री (श्री हरगोबिन्दसिंह)--

यह सही है कि २ मई, १९६६, को गोंडा शहर में दसवीं मोहर्रम के दिन मुसलमानों द्वारा ताजिया का जुलूस नहीं निकाला गया तथा ताजिया दफन नहीं किया गया। परन्तु इसके कारण नगर में कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं हुआ।

अलका इंडस्ट्रीज, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत

*११--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह सत्य है कि लखनऊ में अलका इंडस्ट्रीज के विरुद्ध मार्च अथवा अप्रैल, १९६६, में उन्हें इस आशय का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है कि उपरोक्त इंडस्ट्रीज को ही बड़े पैमाने पर डायरेक्टर द्वारा पूरे प्रदेश के लिये रंग की खरीदारी का काम गलत व पक्षपातपूर्ण तरीके से दिया गया ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई, व उक्त इंडस्ट्रीज कब से लखनऊ में कार्य कर रही है व उसके पार्टनर, सरकारी कागजात में कौन-कौन व्यक्ति हैं व उसके स्वयं की पूंजी तथा सरकार द्वारा कितना कर्ज उसे कब-कब दिया गया व कितने कर्मचारी उसमें काम करते हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

शिकायती-पत्र माननीया मुख्य मंत्री को दिया गया था। वह गोपनीय ढंग से उसकी जांच कर रही हैं।

अलका इंडस्ट्रीज, लखनऊ में पहली जनवरी, १९६३, से काम कर रही है। इसके साझीदार निम्नलिखित व्यक्ति हैं:--

(१) श्री नरेन्द्र प्रकाश सिंघल, पुराना किला, लखनऊ।
(२) श्री हर्ष वर्धन, पुराना किला, लखनऊ।
(३) श्रीमती विद्यावती, पुराना किला, लखनऊ।

इस इकाई में ३९ हजार रुपये की स्वयं की पूंजी लगी है तथा १२ हजार रुपये सरकार से ऋण के रूप में इस संस्था को दिये गये हैं। इसमें आठ कर्मचारी काम करते हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, अलका इंडस्ट्रीज का संबंध प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री से है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीया मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि चूंकि इसमें ३९ हजार रुपये का मामला है, इसलिये इसकी जांच करायेंगी ? और इस आदरणीय सदन के सामने उसको रखने की कृपा करेंगी ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जब जांच हो जायेगी, मैं उसको देखूंगी और सदन के सामने रखूंगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये तीनों व्यक्ति जो उस कम्पनी के साझीदार हैं वे एक घर के रहने वाले हैं और आपस में स्त्री पुरुष हैं या रिश्तेदार ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इसमें श्रीमती विद्यावती तो मिस्टर बनारसीदास जी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। हर्षवर्द्धन से इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है और श्री नरेंद्र प्रकाश सिंहल से इनकी रिश्तेदारी मेरी नोटिस में नहीं है। केवल श्रीमती विद्यावती जी इनकी धर्मपत्नी हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया है कि क्या आप जांच करायेंगे, आपने दो नाम बताये हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वे एक वरिष्ठ मंत्री जी के नजदीकी रिश्तेदार हैं, तो क्या वे इसकी जांच कराने के पश्चात् सदन के सामने सारी रिपोर्ट रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय लखपतराम शर्मा, इस संबंध में उन्होंने जवाब दिया है कि जो जांच होगी उसको देखकर जहां तक संभव होगा आपके, सदन के सामने रखेंगे।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि यह मामला बड़ा गम्भीर है और एक मिनिस्टर से इसका संबंध है तो मैं चाहता हूं कि इस पर जो जांच की रिपोर्ट हो वह सदन के सामने रखी जाय।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं समझती हूं कि मंत्री खुद चाहेंगे कि जो कुछ इसकी जांच का नतीजा निकले वह सब हाउस के सामने आ जाय। मगर मैं तो इतना ही कह सकती हूं कि जांच के बाद ही मैं तय कर सकूंगी कि हाउस के सामने क्या रखना है।

श्री अध्यक्ष—

जब जांच पूरी हो जायगी तो यह प्रश्न सदन के सामने आयेगा।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं यह चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इस विषय में पूरी जानकारी करनी चाहिये और यह मामला बड़ा गम्भीर है और एक मंत्री से इसका संबंध है तो इसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में यह उचित होगा कि आपके पास जो कुछ जानकारी हो वह आप मुख्य मंत्री जी के पास पहुंचा दें। आप अगर ज्यादा से ज्यादा जानकारी उनको दे देंगे तो जांच पूरी तरह से हो जायगी।

श्री लखपतराम शर्मा—

जो हमारी जानकारी है वह हम उनको दे देंगे लेकिन मुख्य मंत्री जी को अपने विभागों से भी इसकी जानकारी करनी चाहिये। जो संबंधित मंत्री हैं उनसे भी इसकी जानकारी करें तभी यह जांच सही रूप से पूरी हो सकती है, तो मुख्य मंत्री जी कृपया ऐसा करने का प्रयत्न करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जांच हो जाने के बाद ही मैं इस हाउस में संतोषजनक जवाब दे सकूंगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह १२ हजार रुपया जो सरकार की तरफ से दिया गया है इसके अलावा ५० हजार रुपया यू०पी० कोआपरेटिव फेडरेशन से इस संस्था को दिया गया है, यदि हां, तो कब ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह सवाल इंडस्ट्री विभाग का है। इसको कितना कर्जा दिया गया यह मैंने बताया कि १२ हजार रुपया कर्जा सरकार की तरफ से दिया गया। अब कहां-कहां से इसने कितना और कर्जा ले रखा है इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। आपकी आज्ञा से यह और स्पष्ट करना चाहता हूं कि बनारसीदास जी से इनका क्या रिश्ता है, क्या काम करते हैं, कहां रहते हैं यह जानकारी मुझे नहीं है। इसके अलावा और जानकारी माननीय सदस्य करना चाहते हों तो मैं करा सकता हूं।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार इस बात को बतायेगी कि इस इंडस्ट्री में बहुत से लोगों का संबंध है जो सरकार से बहुत रुपया लिये हैं ? और पूरी तरह से छानबीन करने पर सरकार को पता चलेगा कि कितने रहस्य और खुलते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप इस संबंध में अपनी पूरी जानकारी उनको दे दें।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, जो सवाल दिया गया था उसका जवाब हम लोगों के पास नहीं आया ? उत्तर हमको दिला दीजिये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उन्होंने जो सवाल दिया उसका उत्तर इंडस्ट्री डिपार्टमेन्ट की तरफ से बन कर आया। अगर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के बाहर कोई बात हो तो वह बतानी चाहिये थी। मैं तो आदरणीय लखपतराम जी से यह कहूंगी कि वह थोड़ा धीरज रखें। जो मामला है उसकी जांच हो जाय तो सारा मामला आप के सामने रख दूंगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय मंत्री जी अपने जो मंत्रिपरिषद् के सदस्य हैं उन को इस प्रकार की नेक सलाह देंगे कि वे अपने और अपनी स्त्री और अपने बच्चों के साथ इस प्रकार का कोई ऐसा काम न करें जिससे उस पैसे का दुरुपयोग हो और लोगों को प्रोत्साहन मिले।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अब इस विषय में क्या कह सकती हूं। हां, स्त्री का नाम बहुत न लिया जाय तो अच्छा है। मगर हर एक मंत्री का बच्चा अगर कोई इंडस्ट्री चलाये तो उस को लोन न दिया जाय इस तरह का प्रतिबन्ध लगाना एक मुश्किल बात है।

सिंचाई मंत्री के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*१२--श्री शराफतहुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें दिनांक २५ अप्रैल, १९६६ को सिंचाई मन्त्री उत्तर प्रदेश के विरुद्ध उच्च सैनिक अधिकारियों और देहरादून के सम्भ्रान्त नागरिकों की ओर से यह शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है कि सिंचाई मंत्री ने अनधिकृत रूप से कई सौ बीघे जमीन पर कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

२५ अप्रैल १९६६ को सिंचाई मंत्री के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

शोहरतगढ़ बाजार में जीप दुर्घटना

*१३--श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २ मई, १९६६ को बस्ती जिले के शोहरतगढ़ बाजार में जीप से कोई दुर्घटना हुई जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है? यदि हां, तो--

(क) उक्त जीप का मालिक कौन है?

(ख) जीप ड्राइव कौन कर रहा था? तथा

(ग) उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

दिनांक २-५-१९६६ को नहीं वरनु ३-५-१९६६ को इस प्रकार की घटना हुई :--

(क) श्री मथुरा प्रसाद पांडे, पुत्र त्रिलोक पांडे, निवासी तेतरी बुजुर्ग, थाना उसका, बस्ती।

(ख) श्री जलालुद्दीन, पुत्र श्री सिकन्दर, ग्राम महदेइया, थाना लोटन, बस्ती।

(ग) इस संबंध में धारा २७९/३३७/३०४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम होकर विवेचना हो रही है। उक्त श्री जलालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्री चन्द्रपाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मथुरा प्रसाद पांडेय क्या उस समय जीप में मौजूद थे? यदि हां, तो उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जीप का मालिक कोई हो, जीप दुर्घटना हुयी तो जो ड्राइव कर रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री चन्द्रपाल---

जो ड्राइव कर रहे थे जलालुद्दीन साहब, क्या उनके पास कोई लर्निंग लाइसेंस था या नहीं? किसी प्रकार का लाइसेंस था या नहीं?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

अब श्रीमन्, यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---

जो आदमी मरे हैं या घायल हुये हैं उनको कुछ मुआवजा भी दिलाया गया और जीप के अन्दर कोई और नाजायज चीज गांजा वगैरह बरामद हुआ था?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

अभी तो मुकदमा चलेगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

यह मथुरा प्रसाद जी कौन है? एम० एल० ए० हैं या एम० एल० सी० हैं?

श्री अध्यक्ष---

यह पूछिये कि परिषद् या विधान सभा के सदस्य हैं?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मुझको जानकारी नहीं है कि एम० एल० ए० हैं या एम० एल० सी० हैं।

लक्सर चीनी मिल पर बकाया

*१४---श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले में नजीबाबाद जोन के किसानों का लक्सर शुगर मिल पर कितना रुपया पड़ा है? यदि पड़ा है, तो क्यों?

*१५---क्या समाज कल्याण मंत्री यह भी बतायेंगे कि किसानों का नजीबाबाद में गन्ना बाण्ड करने का कितने सालों का रुपया है? यदि बाण्ड का रुपया कई वर्षों से सोसाइटी पर है, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री---

प्रश्न के महत्व को देखते हुये यह सूचना कितने दिनों में एकत्रित करवायेंगे?

डाक्टर सीताराम---

यथासंभव शीघ्र।

मुरादाबाद जिले में सी०आई०डी० द्वारा मुकदमों की जांच

*१६---श्री रियासत हुसैन---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली जनवरी, १९६५ से ३१ जुलाई, १९६५ तक कितने मुकदमें जिला मुरादाबाद में सी० आई० डी० को जांच के लिये दिये गये और उनका क्या परिणाम हुआ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

१ जनवरी, १९६५ से ३१ जुलाई, १९६५ तक, अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग, उत्तर प्रदेश को ६ केस में जांच अभी समाप्त नहीं हुई है, एक केस में चार्जशीट न्यायालय भेजी गयी, एक केस में आरोप सही नहीं पाये गये और जांच समाप्त कर दी गई, एक केस में विभागीय कार्यवाही करने के लिये सिफारिश की गई।

बांसी पुलिस की हिरासत में अभियुक्त की मृत्यु

*१७—श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या यह सत्य है कि दिनांक ७ या ८ अप्रैल, १९६६ को बस्ती जिले के थाना बांसी की पुलिस द्वारा पकड़ा गया एक मुल्जिम अधिक पीटे जाने के कारण मर गया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

७-४-१९६६ को एक अधियुक्त की मृत्यु हुई थी जो पुलिस की हिरासत में था। इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई। परन्तु पुलिस द्वारा पीटा जाना नहीं ज्ञात हुआ।

*१८—श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

क्या यह सत्य है कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित व्यक्ति की मृत्यु मैजिस्ट्रेट के सामने कचहरी मे हुई तथा उस समय तक उस की प्राथमिक चिकित्सा को कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई थी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उक्त अभियुक्त की मृत्यु कचेहरी में हुई, परन्तु यह सही नहीं है कि इसकी मृत्यु मजिस्ट्रेट के सामने हुई उसकी प्राथमिक चिकित्सा मेडिकल आफिसर बोसी द्वारा पहले ही की जा चुकी थी उसके बाद वह सदर लाया गया था जहां उसकी मृत्यु हुई।

गोंडा जिले में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस

*१९—श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में मार्च, १९६६ से मई, १९६६ तक कितने बन्दूक, रायफल, पिस्तौल तथा रिवाल्वर के लाइसेंस दिये गये? पते सहित उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जनपद गोंडा में मार्च, सन् १९६६ से मई, सन् १९६६ तक २७८ बन्दूक, ७ राईफल, ४ रिवाल्वर, १ पिस्तौल तथा ६ पिस्तौल/रिवाल्वर के लाइसेंन्स स्वीकृत किये गये। उनके नाम व पते की सूची मेरे कार्यालय में उपलब्ध हैं।

श्री सुखदेवप्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता। कि यह लाइसेन्स जिस समय दिये गये उस समय क्या एम० एल० सीज० का चुनाव था और ऐसे आदेश उस क्षेत्र में वोट लेने के लिये दिये गये?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, माननीय मंत्री बतायेंगे कि २७८ व्यक्तियों में से कितने आदमियों को पिस्तौल के लाइसेंस दिये गये और किन-किन के हाथों बेचे गये और किस स्थान पर बेचे गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मालखाने का तो कोई सवाल था नहीं, यह पूछा गया था कि लाइसेन्स कितने मंजूर हुये वह मैंने बता दिये।

श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ज्यादा से ज्यादा किन-किन व्यक्तियों को दे दिये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ब्लाकों की लिस्ट नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—

जितने लाइसेंस दिये गये हैं यह सब क्या प्रधानों को दिये गये हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

एक डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हैं। एक मास्टर गोंडा के हैं। ठाकुर प्रसाद गंगा प्रसाद सुरइया के हैं, कुछ ऐसे ही गांव हैं। इसमें प्रधान तो लिखे नहीं हैं कहीं।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि लाइसेंस ईश्यू होने के पहले कैरेक्टर वेरिफिकेशन होना आवश्यक है, वह कराया गया या नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने लाइसेंस इश्यू हुए हैं, कितने अप्लीकेशंस पहले की पड़ी थीं और उनकी जांच हो चुकी है या नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र समितियों के कितने सदस्यों को लाइसेंस दिये गये और जिनको लाइसेंस दिये गये उनके लाइसेंस फार्म कब प्राप्त हुए और क्या उन पर सरकारी कार्यवाही हो चुकी है या एम० एल० सी० के चुनाव के समय एक पार्टी विशेष को जिताने के लिये जल्दी लाइसेंस दे दिये गये ?

श्री अध्यक्ष—

जो आप के प्रश्न का पहला भाग है उसका उत्तर तो दे चुके हैं। अब प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे दें कि क्या केवल क्षेत्र समिति के सदस्यों को लाइसेंस दिये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

पहले ही मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह सूचना मेरे पास नहीं है। नामवार सूची मेरे पास है, अगर माननीय सदस्य चाहें तो वह मैं उन्हें दे दूंगा।

*२०-२१--श्री मुहम्मद रफी खां--

[स्थगित किये गये।]

रामपुर घोघर गांव का अग्निकांड

*२२--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि दिनांक १२ अप्रैल, १९६५ को रात को २ बजे जो ग्राम रामपुर घोघर, थाना ठाकुरद्वारा,जिला मुरादाबाद में आग लगने के कारण ३ मृत्यु हुयी और २६ मवेशी जले, उसका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

दिनांक ११-१२ अप्रैल, १९६५ को ग्राम रामपुर घोघर थाना ठाकुरद्वारा में रात के करीब २ बजे आग लगने की घटना घटित हुई जिसके कारण ३ मृत्यु हुईं और ४३ मवेशी जले, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :--

		विवरण
कितनों की मृत्यु हुई	..	(१) २ बच्चे जल कर मर गय।
३		(२) १ बूढ़ी औरत जल कर मर गयी।
कितने मवेशी जले	..	(१) जल कर मर गये--
४३		बैल .. ७
		गाय .. १२
		बछड़ा .. १५
		कुल .. ३४
		(२) जखमी हुये--
		बैल .. ३
		गाय .. ६
		कुल .. ९

*२३--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मंत्री को यह मालूम है कि वह तोनों मौतें पुलिस के द्वारा उचित ढंग से शफाखाने न पहुंचाने के कारण हुयीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी नहीं, पुलिस ने तीनों जले व्यक्तियों को इलाज का समुचित प्रबन्ध किया।

सहायक निदेशक महिलाओं के स्थानान्तरण

*२४--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय सहायक निदेशक (महिला समाज कल्याण) पद पर उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन-कौन महिलायें हैं जो कि अपने उक्त पद पर उस मण्डल में २० मार्च, १९६६ को ३ मास से ही काम कर रही थीं परन्तु पुनः उनका स्थानान्तरण दूसरे मण्डल में कर दिया गया तथा स्थानान्तरण करने का कारण क्या है ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

इस अवधि मे किसी क्षत्रीय सहायक निदेशिका (महिला) का स्थानान्तरण नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विपिनबिहारी तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २० मार्च, १९६६ को जो क्षेत्रीय सहायक निदेशक (महिलायें) काम कर रही थीं उनकी नियुक्त वहां पर कब हुई और इस समय वे कहां काम कर रही हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो प्रश्न है उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि २० मार्च, १९६६ को वे तीन महीने से काम कर रही थीं।

श्री अध्यक्ष—

क्या अब उनका स्थानान्तरण दूसरे मंडल में कर दिया गया है ?

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

श्रीमन्, जिन सहायक निदेशक महिलाओं की नियुक्ति यहां पर हुई थी और तीन महीने से काम कर रही थीं, अब उनका स्थानान्तरण दूसरी जगह को हो गया है, तो वे कब नियुक्त हुई थीं और इस समय वे कहां काम कर रही हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उत्तर में बतला दिया गया है कि तीन महीने के अन्दर किसी का तबादला नहीं किया गया है।

श्री विपिनबिहारी तिवारी—

साफ उत्तर नहीं मिला। सहायक निदेशक महिलायें जो काम कर रही थीं उनकी नियुक्ति उक्त मण्डल में कब हुई और इस समय वे कहां काम कर रही हैं ?

श्री अध्यक्ष—

नाम बता दीजिये।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रदेश में दस सहायक निदेशक काम कर रही हैं। कोई सन् ६० से काम कर रही हैं और कोई एक स्थान पर सन् ६२ से काम कर रही हैं। किसी का चार साल या पांच साल में एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में तबादला किया गया है।

सिरसा खुर्द ग्राम में बंदूक के लाइसेंस

*२५—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बदायूं के थाना जरीफनगर के ग्राम सिरसा खुर्द के निवासियों ने वर्ष, १९६४-६५ में बन्दूक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये किस-किस व्यक्ति ने आवेदन पत्र दिये तथा उन पर स्थानीय पुलिस की क्या रिपोर्ट लिखी गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिला बदायूं के थाना जरीफनगर के ग्राम सिरसा खुर्द के निवासियों में से तीन व्यक्ति सर्वश्री शिवनारायन शर्मा, नौबतराम तथा सियाराम ने वर्ष १९६४-६५ में बन्दूक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र दिये जो स्वीकार हो गए। पुलिस की रिपोर्ट गोपनीय होती है, अतः उसे बताना जनहित में न होगा।

श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या इनमें से किसी शख्स का डकैती के लिये और गबन के सिलसिले में चालान हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, मैं सवाल समझ नहीं पाया।

श्री उल्फतसिंह यादव—

इन तीनों व्यक्तियों पर क्या डकैती, चोरी और राहजनी के मुकदमे थे?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इनमें शिवशरायण शर्मा और होरीलाल शर्मा को बन्दूक मंजूर थी और इनकी रिपोर्ट ठीक थी और एक सियाराम प्रजापति के खिलाफ कुछ विभागीय कार्यवाही की गई थी, लेकिन जब कार्यवाही ठीक हो गई तब ठीक पाया गया। तो उनको भी दे दिया गया था।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास क्या कोई ऐसी रिपोर्ट आयी कि उनके खिलाफ कोई डकैती या गबन का केस था?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, मैंने कहा कि मेरे पास यह सूचना आयी है कि उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चालू थी, डकैती का कोई केस नहीं था। जब विभागीय कार्यवाही से उनको दोषमुक्त कर दिया गया तब उनको लाइसेंस दे दिया गया।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि उनके खिलाफ डकैती का केस है, इसकी सूचना आज तक नहीं भेजी गयी और जो यह सूचना भेजी है वह गलत सूचना भेजी है। क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह वे कैसे बतायेंगे कि गलत सूचना दी गयी है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

तो क्या यह गलत कहा जा रहा है कि उनको डकैती में ट्राई किया गया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह मैंने कभी नहीं कहा कि माननीय सदस्य गलत कहते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनके ऊपर कोई डकैती का आरोप था।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आरोप-पत्र देने वाले कितने पार्टी से संबंधित हैं?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

*२६-२७—श्री मन्नालाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिये गये।]

पुलिस लाइन, झांसी के सिपाहियों पर डकैती का मुकदमा

*२८— श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि दिनांक १४ अप्रल, १९६६ नत्थी (ग) प्रान संख्या ५० के सम्बन्ध में जो आर्म्ड गार्ड पुलिस लाइन झांसी के ७ सिपाही डकैती के अपराध में गिरफ्तार

किये गये उनके विरुद्ध कितने डकैती व कत्ल के मुकदमें न्यायालय में पुलिस द्वारा पेश किये गये और उनमें से कितने मुकदमे में अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा किस-किस अपराध में किस-किस व्यक्ति को दण्डित किस-किस रूप में किया गया ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६९ पर)

*२९---श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

[स्थगित किया गया।]

सरस्वती शिशु मंदिर , कानपुर में मारपीट की घटना

*३०---श्री मुक्कुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)---

क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक ३१ मार्च, १९६६ को तिलकनगर, कानपुर स्थित सरस्वती शिशु मन्दिर, कानपुर में पुलिस ने बिना अनुमति घुसकर वहां के कर्मचारियों को मारा-पीटा ? यदि हां, तो पुलिस वालों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

ऐसी कोई घटना दिनांक ३१ मार्च, १९६६ को तो हुई नहीं वरन दिनांक २६ मार्च, १९६६ को एक घटना हुई थी जिसका विवरण संलग्न है। पुलिस द्वारा किसी को मारा पीटा नहीं गया। पुलिस वालों के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २७० पर।)

२६ मई की सामूहिक छट्टी

*३१---श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के राज्य सरकारी कर्मचारियों ने २६ मई, १९६६ को सरकार से छुट्टी सामूहिक रूप में मांगी थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अधिकांश कर्मचारियों ने २६ मई की छुट्टी की दरख्वास्तें दी थीं।

*३२---श्री कल्याण चन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में सरकार की ओर से कोई सर्कुलर भेजा गया था जिसमें जिलाधीशों को यह आदेश दिया गया था कि किसी राज्य सरकारी कर्मचारी को २६ मई को छुट्टी न दी जाय।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं।

इलाहाबाद में श्री सुरेश कुमार का अपहरण

*३३---श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में दिनांक १९ मई, १९६६ को सुरेश कुमार अग्रवाल नाम के व्यवसायी का खुसरूबाग रेलवे पुल के समीप कुछ गुण्डों ने अपहरण कर ९ दिन तक

नोट---तारांकित प्रश्न २८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

नजरबन्द रखा था तथा इसकी सूचना अग्रवाल के परिवार वालों ने स्थानीय पुलिस को भी दे दी थी ? यदि हां, तो उस घटना का क्या-क्या विवरण है तथा कितने आदमी अब तक गिरफ्तार किये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २८ मई, १९६६ को श्री सुरेश कुमार अग्रवाल पुत्र बिहारी लाल, निवासी पानदरीबा इलाहाबाद ने इस आशय की रिपोर्ट थाने पर की थी कि उन्हें दिनांक १९-५-६६ को जब वे १०-११ बजे दिन को मार्केटिंग आफिस से खुसरूबाग के पुल के पास साइकिल से जा रहे थे तो दो आदमियों ने जो जीप के साथ थे, बलपूर्वक जीप पर बैठाया और उनकी आंखों पर पट्टी बांध उनको ले गये और ९ दिन तक अज्ञात स्थान पर रख कर उसी स्थिति में धूमनगंज के पास जी० टी० रोड पर छोड़ दिया। इसके पूर्व दिनांक २१-५-६६ को उनके भाई श्री प्रयागनारायण अग्रवाल ने उनके गायब होने की सूचना थाने पर दी थी। मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

जलालाबाद के 'विजय पताका की निरीक्षा'

*३४—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हफ्तेवार "विजय पताका" अखबार जो जलालाबाद, शाहजहांपुर से शाया होता है उसके विरुद्ध गन्द मजमून, कम्युनल प्रोपोगडा व यलो जर्नलिज्म पर सरकार की नजर न पड़ने पर और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने की क्या वजह है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पत्र की निरीक्षा बराबर की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर पत्र के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की गई है।

गंगागढ़ में पंडित खूबचन्द के घर डकैती

*३५—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि ता० २२ अप्रैल, १९६६ को ग्राम गंगागढ़, सोरों, जिला एटा के पं० खूबचन्द के यहां डकैती पड़ी जिसमें खूबचन्द के भाई भूरेलाल की पत्नी श्रीमती गौरादेवी को डकैतों ने गोली से मार दिया और कई व्यक्ति गोली से जख्मी किये गये ? यदि हां, तो उसमें पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना उपलब्ध की जा रही है।

*३६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[पहल बुधवार के लिए प्रश्न ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह ने दी थी उसकी प्रति श्री मौलाई को दे दी गई है। उनसे मैं डेढ़ बजे बातचीत करूंगा। उसको मैंने कल पढ़ दिया था।

अमरीकी पत्रिका के स्टाफ रिपोर्टर द्वारा प्रेस गैलरी में फोटो लेने के संबंध में क्षमा याचना

श्री अध्यक्ष—

कल एक घटना हुई जिसकी सूचना मैंने इस आदरणीय सदन को दी थी कि प्रेस गैलरी में एक व्यक्ति आये जिन्होंने इस सदन का फोटो लेने का प्रयत्न किया और एक स्नेप भी लिया। सूचना मिलने पर मैंने आदेश दिया कि उनको मेरे सामने प्रस्तुत किया जाय। वह मेरे सामने आये और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि एक फोटो उन्होंने सदन की ली है। मैंने उनको यह बताया कि सदन के अन्दर, किसी भी गेलरी में बैठकर किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह सदन का कोई चित्र, स्केच या फोटो ले और ऐसा करके उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है और इस कारण से सभी सिद्धान्तों के अन्तर्गत उन्होंने इस सदन की मर्यादाओं को भंग करके सदन का अवमान किया है। उन्होंने इस भूल को अनुभव किया और अनुभव करके हमें लिखकर दिया है। यह मैं पहले बता दूं कि वह व्यक्ति जिन्होंने चित्र लिया, उनका नाम मारविन एच० जिम है और वह 'टाइम ऐन्ड लाइफ' पत्रिका जो अमरीका से निकलती है उसके कारेसपांडेंट हैं...

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, आपने कल यह कहा था कि उनको आज ११ बजे प्रस्तुत किया जायगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनको गैलरी में आने का किसने पास दिया और क्या वह आपकी आज्ञा से दिल्ली चले गये हैं...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें तो, मैं सब बताये देता हूं। अगर उसके बाद कोई ऐसी बात हो जो मैं न कहूं तो आप पूछ लीजिएगा। उनको जब यह अनुभव हुआ कि उन्होंने इस आदरणीय सदन के आदेशों और नियमों का उल्लंघन किया है और फलस्वरूप अवमान के दोषी हुए हैं, उन्होंने अपनी गल्ती को स्वीकार किया और स्वीकार करके मुझसे और सदन से लिखित क्षमा याचना की है।

इनके साथ एक दूसरे महानुभाव हैं, जिनको भी मैंने तलब किया था और जिनसे मैंने सवाल पूछा। वे हैं श्री एस० के० राव जो "पायनियर" लिमिटेड से सम्बन्धित हैं और एसिस्टेंट न्यूज एडिटर आफ यू० पी० कारेसपोन्डेन्ट टाइम्स लाइफ के हैं। उन्होंने इसी प्रकार से मुझे अपना परिचय दिया था। जब सुने मालूम हुआ है कि वे इस पद को धारण किए हैं। एस० के० राव ने परसों सायंकाल मुझे फोन पर बताया था कि एक संवाददाता अमरीका के इस सदन में उपस्थित होकर कार्यवाही देखेंगे। क्या मैं इजाजत दे दूंगा। मैंने कहा, हां, हर शख्स जो कार्यवाही देखना चाहता है वह देख सकता है, हम स्वागत करते हैं। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मुझे पास भेज दिए जायं। मैंने कहा कि यह नहीं हो सकता है। आप उसके लिए आवेदन-पत्र दें और आवेदन-पत्र देने पर उचित कार्यवाही होगी। चुनांचे उन्होंने कल २० जुलाई को एक पत्र भेजा, जो मेरे नाम से था, लेकिन उस समय मैं सदन में चला आया था। मेरे पी० ए० को वह मिला। उन्होंने अपने पत्र में यों लिखा था: "This is in continuation of the telephonic talk I had with you last evening" (यह फोन पर हुए वार्तालाप के संदर्भ में निवेदन है जो वार्ता गत सायंकाल हुयी थी।)

Mr. Marvin H. Jims Chief Correspondent of "Times and Life" Magzine of America is arriving to day and wants to visit the Assembly (मिस्टर मार्विन एच० जिम, जो "टाइम्स ऐन्ड लाइफ" पत्रिका के प्रमुख सम्वाददाता हैं, और जो अमेरिका से निकलती है वे आज आ रहे हैं और वे चाहते हैं कि वे एसेम्बली देखने आयें)।

I shall be grateful if you will issue instructions to issue two passes for Speaker's gallery, one for myself and one for Mr, Sims', (मैं आपका आभारी हूंगा यदि आप आदेश दें जिससे २ पास अध्यक्ष दीर्घा के उनके और मेरे नाम में निर्गत किए जायें या दिए जायें। इसके ऊपर मेरे पी० ए० ने लिखा कि माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार विशिष्ठ दीर्घा के पास जारी किए जायं।) इसके अन्तर्गत उनको दो पास दिए गये।)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

मैं जानना चाहता हूं कि आपने आदेश दिये या पी० ए० ने ही जारी कर दिए ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने लिखित आदेश नहीं दिए। मैंने शाम को कह ही दिया था कि वे आ सकते है और ये ऐसी औपचारिक चीजें हैं जिनमें प्रायः मेरे लिखित आदेश नहीं लिए जाते हैं। आर्डिनरी कोर्स में हो जाते हैं। अब इसके बाद उनको २ पास दिए गये जो मेरे पास हैं।

अब श्री जिम ने लिख कर क्षमा याचना की है। मैं एक बात और निवेदन कर दूं कि यह श्री एस० के० राव का कहना है कि वह हिन्दी भाषा से अपरिचित हैं और उन्होंने भी लिखित रूप से क्षमा याचना की है। जिन शब्दों में जिम ने . . . .

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय आपने इस का नहीं उल्लेख किया है वह आप के यहां प्रेस गैलरी में पकड़े गये और विशिष्ट दीर्घा का उनको पास दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

मैं सब बता रहा हूं। छिपा तो नहीं रहा हूं। जिम ने लिखा है—श्री

"DEAR SIR,

I AM sorry for what happened yesterday. It was done in ignorance of the rules. I did not wish to be disrespectful to the House in any way. I hereby tender apology for submission to the House."

वह लिखते हैं कि जो कल घटनायें हुईं उस के लिये मुझे खेद है। वह नियमों की अनभिज्ञता के कारण घटित हुई। मेरी कोई मंशा या मेरी कोई इच्छा इस सदन के प्रति अवमान या उस की मर्यादाओं को भंग करने की नहीं थी। मैं सदन के प्रति अपनी क्षमा याचना प्रस्तुत करता हूं। यह श्री जिम ने कहा है।

श्री एस० के० राव ने लिखा है —

सर आई एम सौरी फार यसटरडेज इंसीडेंट्स। माई ऐन्ट्री इनटु दी प्रैस गैलरी . . . .

श्री टम्केश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह भी हिन्दी में बात नहीं करते हैं। हिन्दी में बात ही नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में यह हमारी रिपोर्टिन्ग कैसे करते हैं जब समझते नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

वह रिपोर्ट नहीं करते हैं, यहां नहीं आते हैं। वह रिपोर्टर नहीं हैं न उन के पास यहां का पास है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मैं पूछ रहा हूं श्रीमन् कि जब हिन्दी नहीं जानते तो देखने क्या आये थे और सुनने क्या आये थे।

श्री अध्यक्ष—

जरा सुन लें कृपा कर———

"My entry into the press gallery with a pass for Speaker's gallery was a sheer mistake and unintentional.

I tender my unqualified apology for the lapse to the House and to you."

श्री राव का कहना है कि मुझे कल की घटना के सम्बन्ध में खेद है। मैं अध्यक्ष गैलरी के पास के आधार पर प्रेस गेलरी में गया। मैं जानबूझ कर वहां नहीं गया, गलती

[श्री अध्यक्ष]

से चला गया । मैं इस गलती के लिये सदन के प्रति अपनी "अनक्वालीफाइड अपोलोजी" अपनी क्षमा याचना बिना किसी शर्त के प्रस्तुत करता हूं ।

ये दो क्षमा याचनायें आयी है ।

अब एक निवेदन और कर दूं । जो कैमरा था वह कैमरा मैंने ले लिया था । उस कैमरे में जो रील है या जो भी फिल्म है उसको ले लिया जाय ता इस विचार से कि यदि इस आदरणीय सदन के समक्ष, यदि आवश्यक हो, दिखाया जा सके ।

क्षमा याचना उन्होंने बिना किसी शर्त के दे दी है ।

(श्री टम्बेश्वरप्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मेरी एक आपत्ति है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप अपनी राय दे देंगे तो फिर हमको बड़ी असुविधा होगी । पहले हमारी सुनिये, तब राय दीजिये ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

कितनी गम्भीर बात है....

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

चार-चार आदमी आप खड़े हो जाते हैं । मेरी समझ में यह नहीं आता है । माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी को मैंने बुलाया है ।

माननीय दीपनारायण सिंह, साधारण सभ्यता यह है कि एक ही सदस्य खड़ा हो । मैंने उनका नाम पुकारा है, उन्हें बोलने दीजिये ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी को पहले सुन लिया जाय । आप बैठ जायं ।

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं यह कह रहा था कि नियम यह है कि जमानत ले लो और सदन में प्रस्तुत नहीं किया...

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने दल दल में कहा था । आपने सदन को आश्वासन दिया था कि आपके सामने जायेंगे । उसी समय मैंने कहा था कि इसी समय बुला लीजिये । आपने कहा आज नहीं वह आयेंगे । मेरी कुछ निजी जानकारियां हैं । यह सामान्य प्रश्न नहीं है जिसे आप ले रहे हैं । यह जो पत्रकार कहे जाते हैं गैलरी में आये । यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दास साहब के साथ ही दिल्ली से आये हैं, के० के० दास साहब के व्यक्तिगत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मित्र हैं। उनका कैमरा गेट के लोगों ने ले लिया सूचना विभाग के वरिष्ठ और अधिकारियों ने फिर से उन्हें दिला दिया और पास चेक करने पर उन्हें प्रवेश दिला दिया। पास चेक करने पर दास साहब के पास वापस गये। फिर सूचना अधिकारी उनके पास आये और उन्होंने एंट्री उनको करा दी और कैमरा भी उन्हें दिलवा दिया। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने उनसे सीधी बातचीत की स्वयं जब वह आपके यहां बैठे थे—कोई इस दृष्टि से नहीं, कुछ जानकारी की दृष्टि से, लेकिन अब चूंकि यह मसला अब बिलकुल दूसरे रूप में सामने आ रहा है इसलिये यह चिन्ता का विषय है। इन तमाम तथ्यों को छिपाने के लिये जो कि कदाचित् सामने आ जाते उन महाशय ने एपोलाजी मांग ली है जब कि पहले बांड देने को तैयार नहीं थे। दूसरे सज्जन साथ थे, वे साहब उन्हें जानते थे।

मेरा आपसे निवेदन यह है कि पूरी जांच होनी चाहिये कि किस अधिकारी ने और क्यों उनको प्रवेश दिलाया। इसकी जांच होनी चाहिये कि हमारे कर्मचारियों ने एक बार कैमरा रख लेने के बाद फिर उनको क्यों दे दिया और पूरी जांच होनी चाहिये कि उन्होंने उसके रखे जाने पर दास साहब को एप्रोच किया तब उन्होंने क्या किया। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार आज तो एक बड़ी छोटी सी घटना आपको लगती है।

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब यह है...

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यह पहले आये इनका कैमरा ले लिया गया। फिर यह किया कि उन्होंने दास साहब से मुलाकात की। फिर उसके बाद इन्टरव्यू उन्होंने किया। मैं सीक्रेट रखूंगा, मैं कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं करता हूं न दास साहब का न उनका। उन्होंने उनको प्रवेश दिला दिया। मेरा कहना है कि इन सब बातों से पता चलता है कि हमारे कुछ वरिष्ट अधिकारी इन्टरेस्टेड थे इन सब बातों को कराने के लिये। मैं कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं करता, लेकिन यह वही हैं जिन्होंने समय-समय पर प्रधान मंत्री के वक्तव्य को तोड़-मरोड़ कर छापा है। मैं समझता हूं कि इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिये।

आपको मालुम है कि "टाइम" और "लाइफ" ये दोनों पत्रिकायें हिन्दुस्तान के खिलाफ जितना बुरा प्रचार कर सकते थे करते रहे हैं और आज भी यह हमारे खिलाफ हैं और हमें दुःख है कि हमारे प्रदेश का "पायनियर" जैसा पत्र और जिसमें काम करने वाला कर्मचारी उस पत्रिका से संबंधित है और संबंधित ही नहीं है, वह उसे अपने साथ ले आकरके और आपका और आपकी शिष्टता का नाजायज फायदा उठा कर के पास प्राप्त किया और वह भी विशिष्ट दीर्घा में ले जाकर के यहां के जो सूचना अधिकारी नये नियुक्त किये गये हैं, मिस्टर सुरेन्द्र तिवारी जहां तक मेरी जानकारी है, उनके जरिये प्रेस गैलरी में वह बैठाये गये। इससे बढ़ कर इस सदन का अवमान और अपमान नहीं हो सकता, इस राज्य का अपमान नहीं हो सकता कि भारत विरोधी लोग यहां पर गैलरी में बैठ जायं और उनको प्रोत्साहन दिया जाय कि वह हमारे चित्र ले सकें और इस तरीके से हमको दुनिया में जाकर के बदनाम करने की कोशिश करें। श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उन दोनों व्यक्तियों को आप सदन के सामने हाजिर करें,

दूसरी बात यह कि "पायनियर" के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या जो उसके सम्पादक हैं, श्री घोष उनसे भी जवाब तलब करें कि इस प्रकार का आदमी आपके पत्र से किस प्रकार से सम्बन्धित है जो इतना अवांछनीय, घृणित महापाप हो रहा है इस प्रदेश के विरुद्ध।

श्री अध्यक्ष—

मेरा मतलब यह है कि जो बात आप कह रहे हैं वह तो माननीय टम्बेश्वर प्रसाद मैंने भी कहा है। अब आपने एक बात और तो यह कही कि उनका कैमरा सिंहद्वार पर रखवा लिया

[श्री अध्यक्ष]

गया था। वह ऊपर आये, फिर लौटे और कैमरा उनको दिलाया गया। दूसरी बात यह कही कि किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उनको प्रवेश प्रेस गैलरी में कराया गया। बस दो ही बातें कहीं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने बताया कि दास साहब के साथ आये। उसके बाद वह वरिष्ठ अधिकारी आये। क्या हमारा कोई वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार है?

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और यह है कि संबंधित कर्मचारियों ने उनको विशिष्ठ गैलरी का पास दिलवाया यानी सौजन्यता का नाजायज फायदा उठाया। आप "पायोनियर" के खिलाफ कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह—

आपके ऊपर चलेगा, इनके ऊपर चलेगा।

(व्यवधान)

इसमें बहुत बड़ी कांस्पिरेसी है।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि जब वह कैमरा ला रहे थे तो उनको पुलिस ने रोका और उसका कैमरा गेट पर रख लिया। फिर वह अमरीकन कैमरा ले जाने के लिये गया और झूठ बोल कर ले आया और दो घंटे बाद...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप वही बातें कह रहे हैं।

श्री भगवान सहाय—

आप जांच करा लें।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरी वैधानिक आपत्तियां दो हैं। पहली यह है कि अभी परसों यहां पर एक पर्चा तकसीम हुआ था उसमें जिस माननीय सदस्य द्वारा पास दिया गया उनके मामले को भी विशेषाधिकार समिति में भेजने का फैसला किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कहां भेजा है? अभी तो नोटिस आया है।

(माननीय दीपनारायण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण जी, आखिर में जितना बोलना चाहें बोल लीजिये। अभी तो कार्यवाही चलने दीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरी वैधानिक आपत्ति यह है.....

(व्यवधान—माननीय दीपनारायण सिंह के कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण जी, आप खामोश नहीं बैठ सकते हैं? आप बोलने नहीं देते हैं किसी को। बार-बार खड़े हो जाते हैं। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं वैधानिक आपत्ति रख रहा हूं कि जब कोई माननीय सदस्य विशिष्ट पास लेकर दर्शक गैलरी तक जा सकता है....

(व्यवधान)

राहत मौलाई साहब का विशेषाधिकार का नोटिस भी आपके सामने आया है। कोई माननीय सदस्य यह नहीं जान सकता कि जिसको पास दिया गया है वह जाकर क्या करेगा। इस प्रकार यदि विशेषाधिकार समिति के सामने आप या आपके पी०ए० साहब नहीं जाना चाहते तो विशेषाधिकार समिति के सामने राहत मौलाई साहब के मामले को भी सुपुर्द न कीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यह बहस आप बाद को कर लीजियेगा।

श्री लखपतराम शर्मा—

आप मेरी बात तो सुन लें। मेरा कहना यह है कि अमेरिका के अखबारों में हिन्दुस्तान की गरीबी का वर्णन नंगे तरीके से और गलत तरीके से हमेशा छपवाया गया और लोगों को गुमराह किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार इस कैमरे से जो फोटो लिया गया है...

श्री अध्यक्ष—

आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या मतलब है?

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा मतलब यह है कि मेरी जानकारी के अनुसार इस कैमरे से उस अमेरिकन रिपोर्टर ने जो फोटो लिया है उसमें माननीय सदस्यों को जो मार्शल द्वारा और अन्य सिपाहियों द्वारा निकाला गया है, उनके चित्र लिये हैं। तो मेरा कहना यह है और वैधानिक बात मेरी यह है कि जब तक इन फोटो को धुलवाकर सदन के समक्ष न रख दें तब तक कोई निर्णय न लें।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, बैठ जाइये। माननीय नेता विरोधी दल।

(व्यवधान)

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने जो कुछ कहा है उसमें मैं कुछ जोड़ता नहीं हूं लेकिन जो मैं कहता हूं वह यह है कि आपने इस सदन में आज देखा कि कितना रोष लोगों के मन में है। एक बाहरी व्यक्ति किन्हीं कारणों से जो कल आया था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

और उसके लिये आज आपने अनक्वालिफाइड अपोलोजी की बात भी कही उसके बारे में कुछ नहीं कहना है कि वह अनक्वालिफाइड अपोलोजी पर्याप्त है। लेकिन इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक तो यह कि वह व्यक्ति किन परिस्थितियों में आया और किसने आज्ञा दी कि वह फोटो ले। वह डेवलप करके दिखावें या डिस्ट्राय करें। यह मेरा सजेशन है। तीसरा गम्भीर सजेशन मेरा यह है कि एक बड़ा भारी अधिकारी अपने प्रदेश का, चीफ सेक्रेटरी और इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति अगर कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का कार्य करते हैं और यदि आप उसको नहीं छोड़ना चाहते तो बाकायदा एन्क्वायरी कराइये और इस बात को निष्कलंक करें कि यह बात एक स्वाभाविक थी या कोई मतलब था और था तो किन कारणों से, यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है। यह बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इसका निराकरण करके आप अपने विवेक से स्वयं सदन के सामने रखें और इसके लिये आवश्यक होता है कि पूरी जांच करके ही आप अपना आखिरी आदेश दें बिना पूरी जांच किये आप आदेश न दें क्योंकि इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग सम्मिलित हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि एक बहुत ही गम्भीर बात और बड़ा गम्भीर विषय हमारे सदन के लिये ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के सारे सदनों, संसद् या अन्य राज्य और विधान सभाओं में जो हम काम करते हैं उनके लिये बड़ा मौलिक प्रश्न है। आप जानते हैं कि यह रूल हर जगह बना हुआ है, सारे हिन्दुस्तान में, चाहे बाहरी लोग आते हैं और चाहे देश के सदन के अन्दर, चाहे वह लोक सभा हो या विधान सभा हो उसके अन्दर किसी तरह कोई फोटो या कोई अभद्र प्रदर्शन नहीं किया जा सकता और इसीलिये आप जानते हैं कि हाउस आफ कामंस में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में इस बात की व्यवस्था है कि अगर आप चाहें तो प्रेस को एलाऊ न करें और प्रेस रिपोर्ट लिखना चाहें तो आप उसको एलाउ न करें। इसलिये यह मेरा निवेदन है। आज एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। वह किन परिस्थितियों में दिल्ली से आये और दिल्ली से यहां तशरीफ लाकर उन्होंने किस तरीके से पास हासिल किया। जिस दीर्घा का उनको पास मिला उसमें न जाकर वह दूसरी दीर्घा में गये और बहुत से प्रेस वालों ने उनको टोका लेकिन इसके बावजूद भी वह न माने और उसके बाद भी उन्होंने फोटो लिया और उस फोटो को लेने के बाद आपके सामने अब वह अपोलोजी टेंडर करते हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इन सारी बातों पर विचार किया जाय क्योंकि इस प्रकार की अब परिस्थिति पैदा हो गई है जिस पर पूरा विचार करना चाहिये। जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं चाहे वह इधर के हों या उधर के हों उनसे यह मालूम होता है कि उनको यहां बुला कर सारी जानकारी करनी चाहिये। यह प्रश्न आज सामने है कि विधान सभा के अन्दर जो यह घटना हुई और देश के अन्दर जो अशान्ति का वातावरण व्याप्त हो गया है इसको कैसे दूर किया जाय। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है जिसकी पूरी जानकारी की जांच होनी चाहिये। इसलिये आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सिपुर्द करें जो इन सारे मामलों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट सदन को दे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि इन दोनों सज्जनों ने लिखित रूप से सदन से माफी मांग ली है और वह माफी भी उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में मांगी है इसलिये इसको अब विशेषाधिकार समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्याय का यह सिद्धान्त है कि एक व्यक्ति को एक ही मर्तबा सजा दी जाती है। जो उन्होंने गलती की है उसके लिये उन्होंने माफी मांग ली है और उचित रूप से माफी मांग ली है। अब इस पर आगे और कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर—व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बोलने का हर एक को अधिकार है किन्तु उनको भी तो सुन लीजिये।

(शोर)

जरा बैठ जायं। मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं। एक तरफ हमारे सामने और कदाचित् आपने समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा, कुछ बातें माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कहीं। वह बातें मेरे सामने भी कही गयीं। अब उन बातों की गंभीरता सदन अनुभव करता है और सब अनुभव करेंगे। सवाल सिर्फ यह है कि एक तरफ तो जिम और राव है और दूसरी तरफ वह बात हैं जो कि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कहीं। तो मैं आप से निवेदन कर रहा था कि दोनों को एक साथ न मिलाइये। रहा प्रश्न इंश्योरेंस के बारे में, वह चीज आप चाहेंगे तो वह होगी। मैं दोनों को अलग-अलग रखना चाहता हूं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मैं प्रारम्भ में यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस सदन में किस प्रकार का आचरण करें इसके लिये जो आचरण करे इन प्रश्नों के ऊपर यदि आप का ध्यान मैं आकर्षित करूं तो मैं आप से आग्रह करूंगा कि कुछ माननीय सदन को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उसे अपना काम सुचारु रूप से चलाने के लिये, अपने विचार स्वातंत्र्य को सुरक्षित रखने के लिये और मान्यवर, जो सब से बड़ी बात है वह यह कि सदन में हम जो बात करते हैं उस के पीछे अगर सेंक्शन देखें आप तो ....

श्री अध्यक्ष—

क्या कह रहे हैं आप ?

श्री रामायण राय—

मैं निवेदन केवल इतना कर रहा हूं कि...

श्री अध्यक्ष—

आप पहले अपना प्रपोजीशन बता दें। (अवधान) जरा शांत रहें।

श्री रामायण राय—

उन्होंने क्षमा याचना की। वह जो 'टाइम्स' के संवाददाता हैं उन्होंने क्षमा याचना की। मेरी राय में इतना काफी है उनके विरुद्ध जनमत बनाने के लिये कि उन्होंने एक गलत आचरण किया इसलिये जनमत के सामने उनकी क्षमा याचना क्या रखी गयी उसको प्रेस में जाने से रोक नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए यह काफी दंड है और सदन को इसको मानना चाहिये।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्षमा याचना का प्रश्न है हम उसकी मेरिट्स में नहीं जा सकते, लेकिन यदि आप इस गम्भीरता को अनुभव कर चुके हैं कि सारे प्रश्न पर प्रकाश पड़ना चाहिये तो उन तथ्यों पर प्रकाश तभी पड़ सकता है जब वह अमरीकन महानुभाव और राव भी आपके सामने होंगे। क्योंकि आप स्वयं कह चुके हैं कि उन्होंने कितनी बातें बतायीं। अगर आपने याचना स्वीकार कर ली और उनके जो बांड्स हैं वह डिस्चार्ज कर दिये तो यह सवाल पैदा होगा कि उनका बुलाया जाना सारी उस जानकारी के लिये जो आवश्यक है—जो एक सारा फ्रेम हमारे सामने है—इसलिये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि ऐसे तथ्य हैं इसलिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्त सिंह]

यह क्षमा याचना आप स्वीकार करें या न स्वीकार करें। जब तक इन सारे तथ्यों पर प्रकाश न पड़ जाय तब तक इनपर प्रतिबन्ध रखा जाय ताकि हम यह जान सकें कि ऐसी कोई कांस्पीरेसी या षड़यंत्र तो नहीं है जो हमारे खिलाफ चल रहा हो।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में तो मैं भी यही समझता था कि जितना कसूर उन्होंने किया वह क्षमा याचना के बाद समाप्त हो गया, परन्तु जो तथ्य इस समय सदन के सामने आये वह वास्तव में गम्भीर हैं। मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। माननीय टम्बेश्वर प्रसाद ने कहा था कि उनको कैमरा वापस किया गया। यह संभव था कि किसी विदेशी व्यक्ति की एक पूंजी कस्टडी में रखी जाय तो कोई भी व्यक्ति यह महसूस कर सकता था कि वह सुरक्षित नहीं है और कोई उच्च अधिकारी उसको मंगा कर अपने पास रख लेगा परन्तु वह कैमरा उन्हें दे दिया गया। नरसिंहनारायण जी ने कहा कि जिस समय वह प्रेस गैलरी में गये तो एक प्रेस रिपोर्टर ने उसके ऊपर आपत्ति की कि आपको नहीं आना चाहिये और आपने श्रीमन्, दोनों का जो बयान सुनाया तो उसके अन्दर यह कहा है कि उन्हें यह नहीं ज्ञात था कि ये दोनों चीजें नियम विरुद्ध हैं।

तीसरी बात मेरे ध्यान में एक और आयी। और मैं कुछ नहीं जानता लेकिन एक काफी जिम्मेदार आदमी ने बताया कि कल सूचना विभाग के अधिकारी, श्री त्रिपाठी या तिवारी कल प्रेस गैलरी में मौजूद थे और यदि वह मौजूद थे तो यह नहीं समझा जा सकता कि वह सदन के नियमों से अवगत नहीं हैं। उनके जानते हुए ऐसा हुआ। तो उनका कर्त्तव्य था कि उनको रोकते। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यह गम्भीर विषय है, अहम है अतः इसकी और अच्छी तरह से इंक्वायरी की जाय।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

इसमें श्रीमन्, दो दोषी आते हैं। मैं आपसे बताऊं कि उस वक्त हम सदन में नहीं थे खास तौर से मैं नहीं था। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रेस गैलरी में फोटो लेते हुए किसने देखा ?

श्री अध्यक्ष--

मुझे इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन मुझ से किसी ने कहा कि फोटो ली जा रही है, वैसे ही मैंने मार्शल से अपने सामने पेश करने को कहा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

जिसको आपने कहा उसी को मान कर चलना चाहिये कि आपके पास उसकी रिपोर्ट आयी। तो श्रीमन्, दो तरह के दोषी हैं इसमें। पहला तो वह दोषी है जिनके 'टाइम' और 'लाइफ' विदेशी अखबार हैं और हिन्दुस्तान के सभी विरोधी हैं। आपकी नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है कि उनके ऊपर विशेषाधिकार का सवाल उठाया जाय, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कि आप दोनों पत्रों के बारे में जानते थे कि यह विदेशी हैं और हिन्दुस्तानी विरोधी हैं और उनके जो समाचार देने वाले मुख्य समझे जाते थे, वह आये हुये थे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं नहीं जानता था, मुझ से यह कहा था कि एक विदेशी अमेरिकन करेस्पांडेंट देखना चाहते हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

कोई बात नहीं, लेकिन वह लोग जानते थे कि वे भारत विरोधी अखबार के संवाददाता हैं और उनके बारे में आपसे कन्वेंसिंग करके पास दिलवाया गया। जिन्होंने पास दिलवाया

वे सब दोषी हैं। जितने लोग लाबी में सी०आई०डी० के रहे हों, पुलिस के रहे हों, दूसरे सूचना अधिकारी हों, सब लोग दोषी हैं श्रीमन्। हम लोगों को पकड़ने में पुलिस और सी०आई०डी० के लोग दक्ष होते हैं और विदेशी जब गलत प्रचार करने के लिये आते हैं तो सी०आई०डी० और पुलिस के लोग और सूचना अधिकारी गायब होते हैं। हमको पक्की खबर मिली है कि वह आदमी श्री के०के० दास की कार में बैठकर आया। इसका आप पता लगायें कि क्या यह सही है? अगर सही है तो यह पता लगायें कि मुख्य सचिव जानबूझ कर ऐसे व्यक्तियों को सदन में आदर सत्कार के साथ लाये और पास दिलवाया भारत विरोधी प्रचार कराने के लिये?

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे सामने प्रश्न है, इसमें कई प्रश्नों को शामिल कर लिया गया है 'लाइफ' जो मैगजिन है वह हमारे विरोधी हैं या क्या है, हमारे सामने यह सवाल नहीं है कि वे उस मैगजिन के नुमाइन्दा थे। मान्यवर, अगर वे उस मैगजिन के नुमाइन्दा न होते और एक नागरिक के नाते ही आये होते और इस सदन में फोटो लिये होते तब भी वह हमारे नियमों का उल्लंघन होता और इस हाउस का कंटेम्प्ट होता। इस समय सवाल सीधा हमारे सामने यह है कि एक व्यक्ति यहां आकर बैठ गया, अब कौन सी गैलरी का उसके पास पास था और कैसे वह यहां पहुंचा, यह देखने की बात है। कुछ थोड़ी मान्यवर, इसमें हमारी भी ढील रही कि जो भी यहां किसी चीज को लेकर आना चाहे आ सकता है, कहीं पर बैठना चाहे बैठ सकता है। लेकिन मान्यवर, सीधा सादा प्रश्न यह है कि यहां फोटो लिया गया। एक तरह से फारेनर्स को शौक होता है कि इस तरह के वे फोटो लें। कलकत्ते में फोटो लिया गया कि लौंडे घूम रहे हैं और एक तरह से हिन्दुस्तान को एक तमाशा बनाने की बात की गयी। जिस तरह से उस दिन सदन से सदस्य हटाये जा रहे थे, अगर उसका फोटो ले लिया जाता तो फारेन प्रेस वाले उसका खूब इस्तेमाल करते। लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त मैं कमरे में पहुंचा और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि पार्लियामेंट या असेम्बली के अन्दर फोटो नहीं लेना चाहिये। जब उनसे पर्टिनेंट क्वेश्चन किया गया कि क्या अमेरिकन सिनेट में इस तरह के फोटो लेने का रिवाज है? इस पर उन्होंने फरमाया कि जहां तक मुझे मालूम है वहां फोटो लिया जा सकता है। मान्यवर, इस कंट्रोवर्सी में जाने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड के किसी पार्लियामेंट में फोटो लेने की परमिशन नहीं है।

अब प्वायंट यह है कि उन्होंने गलती की। मैं समझता हूं कि अब मुनासिब यह होगा कि उनको सदन के सामने पेश किया जाय। सदन के सामने पेश करने के बाद उनको जो अहसास हुआ है और अफसोस हुआ है। उन्होंने प्राइवेट में कहा है तो भी इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वे सदन के ही सामने अफसोस व्यक्त करें इसी में सदन की गरिमा होगी। अगर वे अपोलोजी लेते हैं तो सदन को माफ करना चाहिये। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यही है कि उनको बुला लिया जाय। आप बैठ जाइये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

श्रीमन्, आप मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे कोई बार प्रार्थना कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, एक बात यह है कि सदन के समक्ष वे उपस्थित हों। माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नवलकिशोर और माननीय शारदाभक्तसिंह और अन्य सब का यही मत है कि वे सदन के सामने आयें। सामने आकर अपनी क्षमा याचना करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

मैं इनका सबका विरोध कर रहा हूं कि वे सामने लाये जायं। मैं इसका विरोधी हूं। मैं कई बार खड़ा हुआ। पहिले आपने उनका माफीनामा पढ़ दिया। अगर आपको बहस करनी थी तो उनका माफीनामा नहीं पढ़ना चाहिये था। श्रीमन्, वह तो आपके विवेक की बात है। आपको अधिकार है कि जो आप चाहें वह करें। श्रीमन्, इस केस की गम्भीरता क्या है। जो अनियमितता उन्होंने बरती है वह इतनी गम्भीर है कि उस पर विचार करने की बात है। हमारे कुछ भाइयों ने कह दिया कि क्योंकि वह हमारा विरोधी पत्र है इसलिये अब मौका मिला है हमको सजा देने का। हम यहां जज होकर बैठे हैं। हम यहां एक अपराधी के बारे में कुछ विचार करने के लिये बैठे हैं। अगर जज के दिमाग में यह हो जाय कि यह फलां अपराधी जो हमारे सामने हैं इसके हम दुश्मन हैं तो उस जज को अधिकार नहीं रह जाता है उस पर विचार करने के लिये।

श्री अध्यक्ष---

आप क्या चाहते हैं?

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

मैं यही बता रहा हूं कि कुछ सदस्यों ने कहा कि वे हमारे विरोधी हैं इसलिये मौका मिला है कि उनको सजा देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि एक मामूली सी बात है। आप ही ने अभी फरमाया था कि वे रूल्स नहीं जानते थे।

श्री अध्यक्ष---

उनको बुलाया जाय या नहीं बुलाया जाय?

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिये। उसका माफीनामा जो पढ़ा गया है वह काफी है। माफ कर देना चाहिये। हम लोगों के लिये यह मुनासिब नहीं होगा कि चूंकि वह पत्र हमारा विरोधी था इसलिये हम अब बदला ले लें उसको सजा दें।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, जहां तक यह बात है कि उन्होंने गलती की या नहीं की, इसमें दो रायें नहीं है कि पत्रकार ने फोटो लेने में गलती की। उन्होंने स्वयं भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनको यह नहीं मालूम था। अतः इस हाउस की गरिमा और मर्यादा को देखते हुए और जैसी की यहां की परम्परा रही है मेरा यह अनुरोध है कि उनकी माफी स्वीकार की जाय। इसके साथ ही साथ इस बीच में, जैसा कि यहां कहा गया कि फोटो लेने में कोई कांसपिरेसी है, मैं माननीया मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगी कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है, इसकी गरिमा को देखते हुये वे इसको केंद्र में ले जायं, केंद्र में इस मामले को ले जाकर इसके ऊपर अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली जाय।

मान्यवर, एक मिनट मैं अपने विरोधी दल और खास तौर से माननीय नेता विरोधी दल के बारे में कुछ कहूंगी। मैं माननीय नेता विरोधी दल की बड़ी इज्जत करती हूं। (व्यवधान) मान्यवर, मुझे यह कहना है कि माननीय नेता विरोधी दल एक बहुत गंभीर आदमी हैं वे मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनें। इस समय हमारा देश बहुत संकट में है। देश में महंगाई है तथा उसके सामने और भी बहुत सी कठिनाइयां हैं, वे कृपया उन बातों के बारे में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव दें, न कि सदन का समय और रुपया इन छोटे-छोटे मामलों में खर्च करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आदेश देता हूं कि सदन के सामने मिस्टर जिम और मिस्टर राव को उपस्थित किया जाय ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह आपका अधिकार नहीं है कि आप यह आदेश दें । अगर आप सदन के सामने इस प्रश्न को रखते तो ज्यादा अच्छा होता । जब आपने सदन के सामने उनको उपस्थित करने की बाबत कहा था तो उस प्रश्न को सदन के सामने रखना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष—

कल मैंने सदन के समक्ष यह वायदा किया था कि मैं उनको हाजिर करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मुझे एक बात कहना है ।

श्री अध्यक्ष—

आप और माननीय शारदाभक्त सिंह ने जो मुझसे कहा था उसका ध्यान रखें ।

(मार्शल से) वे लोग कहां है। उनको बुलाइये। क्यों देर लग रही है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न रह गया । मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और वह यह था कि श्रीमन् ने कल आदेश दिया था कि उनको सदन के सम्मुख लाया जाय, लेकिन आपके उस आदेश का पालन नहीं हुआ । अब उनको सदन के सम्मुख लाया जाता और सदन उस पर विचार करता । लेकिन अब कहा कि उनको सदन में लाया जाये । यह आपको सदन से पूछना चाहिये था कि उनको यहां लाया जाय या न लाया जाय । आपको स्वयं उनको सदन में बुलाने का अधिकार नहीं था । आप.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उनको पेश किया जाय, इतनी देर क्यों लग रही है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

आप व्यवस्था दे दें....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं तो मैं व्यवस्था दूं।

मैंने कल इस सदन के समक्ष कहा था कि मैं उन दोनों को पेश कर दूंगा जब इस बात का तकाजा हुआ था कि उन को पेश किया जाय । मैं उनको पेश करने के पूर्व यह समझता था कि कदाचित सर्वसम्मति से जो उन्होंने क्षमा याचना की है वह स्वीकृत हो जायगी ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

इस सदन में सर्वसम्मति से कभी कोई प्रस्ताव पास नहीं होता । इस मामले में आपने कैसे समझ लिया कि सर्वसम्मति से हुआ ?

(इस समय मार्शल द्वारा श्री मारबिन एच०जिम तथा श्री राव सदन में लाये गये ।)

श्री अध्यक्ष—

जिम साहब हिन्दी नहीं जानते वह अंग्रेजी में कहेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

Mr. Zim. you have been charged for contempt of the House for having taken the liberty of taking photographs when the House was in Session.

(श्री जिम, सदन के अवमान का आरोप आपके ऊपर लगाया गया है। आपने इस सदन का फोटो उस समय लिया है जब कि सदन का उपवेशन हो रहा था)

Mr. Zim, you have submitted an apology. Do you stick to the apology still ? If you do, please say so ?

Sri Marvin H. Zim—

I could not quite understand you, but I tender my unqualified apology.

श्री अध्यक्ष—

(श्री जिम के कथन का रूपान्तर करते हुये) "मैं आपको साफ तौर पर समझ नहीं पाया फिर भी मैं क्षमा याचना बिना किसी शर्त के प्रस्तुत करता हूं।"

(कुछ रुक कर)

Mr. Rao, you have also been charged for being a party to contempt of the House along with Mr. Zim and you have also submitted an apology. Do you still offer unqualified apology ?

(श्री राव, आप श्री जिम के सहित आरोपित हैं कि आपने सदन का अवमान किया है। अतः आपने इस संबंध में जो क्षमा याचना की है क्या आप अब भी बिना शर्त के क्षमा याचना करते हैं ?

Sri S. K. RAO—

I have explained to the Hon'ble Speaker in the House that I was really very sorry for the incident. What was done was just a sheer mistake due to my ignorance to decipher the Hindi script.

श्री अध्यक्ष --

The only question is whether you offer an unqualified apology or not ?

Sri S. K. RAO—

Yes Sir, I do. I tender my unqualified apology. As already explained it was due to a sheer mistake and due to my difficulty to decipher the Hindi language.

श्री अध्यक्ष—

अब आप लोग बाहर जायं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

जो प्रश्न हम लोगों ने उपस्थित किया है वह...

श्री अध्यक्ष—

पहले आपके सामने जो विषय रखा गया है उसको सुन लें।

(श्री जिम और श्री राव सदन से बाहर ले जाये गये)

अब मैं निवेदन कर दूं जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, माननीय शारदा भक्त सिंह ने कहा, माननीय नवल किशोर जी ने भी कहा कि दो बातें आप के सामने हैं। एक तो यह है कि इनकी क्षमा याचना के बारे में हम क्या तय करें। दूसरा यह है कि इस प्रकरण

में बहुत सी गम्भीर बातें हुई हैं, जैसा कि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद, माननीय केसरी प्रसाद और माननीय नरसिंह नारायण (व्यवधान) ने कहीं और मेरे सामने कुछ पत्रकारों ने बातें कहीं उस संबंध में क्या करना चाहिये यह दूसरी बात है। मैं उस संबंध में अभी निर्णय दूंगा, केवल आप के सामने यह नियम पढ़ना चाहता हूं कि अगर विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कोई मामला आता है तो समिति के प्रतिवेदन में दर्शाया जायगा कि क्या विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है और उसकी राय में क्या दंड दिया जाना चाहिये। । यदि क्षमा मांगी गई हो तो समिति यह भी सिफारिश कर सकेगी कि क्षमा याचना स्वीकार की जाय। अतः मैं आप के सामने प्रश्न रख रहा हूं कि क्षमा याचना स्वीकार की जाय।

(किसी ने आपत्ति नहीं की) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रसंग समाप्त हुआ। अब दूसरे प्रश्न का पूरा ब्योरा मेरे पास आ जाना चाहिये। आप अन्वेषण कर सकते हैं कि क्या स्थिति थी और इस में किसका दायित्व है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, ...

अगर आप समझते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं तो आप मेरे खिलाफ भी जो प्रस्ताव चाहें . . . . .

(अत्यधिक शोर)

जो कैमरा है वह रखा जाय। उस में से फिल्म जो है सब निकाल ली जायं उस को देख लिया जाय . . . . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के बयान तो नोट कर लिये जायें, जो अमरीकन पत्रकार हैं उनके बयान ले लें, वह हम को कहां से प्राप्त होंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दें कि उनके उपस्थित होने के लिये प्रबन्ध किया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सब को विदित है कि इस सदन में कोई ऐसी बात न कही जाय जो सदन के कुछ सदस्यों . . . . . .

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आपसे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

एक व्यवस्था मैंने दी है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप उसे सुन लीजिये। माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जो दिन में ५० दफा बोलते हैं और हम लोगों को एक दफा भी आप नहीं बोलने देते। यह बात नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष—

आदरणीय सदन से मैं निवेदन करूंगा।

(व्यवधान)

एक बात और आप सुन लें। राव यहां आये और मुझसे बातचीत की। मैं स्वयं इसमें इंवाल्व हो गया। कल मैं चाहता तो उनका बयान ले कर छोड़ देता और विषय उठाने की सम्मति न देता। लेकिन जब यह मामला सदन के सामने आया कि मैंने उसे सदन में बुलाया तो मैं चाहता हूं कि अब मेरे सम्बन्ध में और सब के सम्बन्ध में जांच कर ली जाय कि कौन-कौन और कहां तक जिम्मेदार है। यह भी आप देख सकते हैं। (व्यवधान) आप पूछ लीजिये। क्या कहना चाहते हैं? (शोरगुल)

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैं आप के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं उसको गम्भीरतापूर्वक सुन लें क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक ऊंची कुर्सी पर बैठे हुये हैं। जो आज्ञा आप देंगे वह सर माथे पर होगी।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न कीजिये, क्या चाहते हैं?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज एक प्रकार से अपराध की संज्ञा में आता है और कोई भी अपराध जो है उसके संबंध में जस्टिस की एक मान्यता है कि किसी भी अपराध के बारे में उसका एक बार ट्रायल होता है और एक बार सजा होती है। आज यह है कि कल जो घटना यहां घटित हुई थी उसके बारे में आपने कहा था कि कल सदन के समक्ष उपस्थित किया जाय। यह एक राइट प्रोसीजर था कि उनको सदन में उपस्थित किया जाता और उन का ट्रायल किया जाता। लेकिन आप ने उसको बदलकर उन को कमरे में बुलाया और माननीय नवल किशोर जी से पता चला कि..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप का सवाल क्या है?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

निवेदन करने के लिये आपको क्या बात है?

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं सवाल पूछ रहा हूं और मेरा यह प्रश्न है कि आप ने चेम्बर में भी ट्रायल किया और जो उन्होंने अपराध किया था उसके लिये उनको सुना और उसके लिये उन्होंने क्षमा मांगी।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप क्या कह रहे हैं? आप को कुछ बोलना है तो आप बोलिये। माननीय मुख्य मन्त्री को कुछ कहना है तो वे माइक पर कहें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, एक बात सुन लीजिये। इस समय माननीय कृष्णानन्द राय जी बोल रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, आप उन्हें बोलने दीजिये। पहले वे समाप्त कर लें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, आप बठ जाइये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय कृष्णानन्दराय जी आप पर और सदन पर आरोप लगा रहे हैं उस विषय पर जो सर्व सम्मति से स्वीकार हो गया है। आप अपनी व्यवस्था दें कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

पहले उन्हें समाप्त कर लेने दीजिये।

श्री कृष्णानन्दराय--

अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वा त है और मैं ए क बहुत गम्भीर ला एन्ड जस्टिस का प्रश्न उठा रहा हूं । (व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन यह है कि.....

श्री बैजनार्थासिह वैद्य--

अध्यक्ष महोदय, आप ने उन्हें बहुत बढ़ा दिया है।

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। लेकिन कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है और मैं हवा में नहीं पूछता। हमारा प्रश्न केवल आप से इतना है कि आप इस पर व्यवस्था दें, स्पष्टीकरण करें या हमको विचार करने का अवसर दें। ब्रीच आफ प्रिविलेज हाउस का परसों जो घटना घटी उसके सम्बन्ध में हुआ, वह एक प्रकार का अपराध होता है। यह जस्टिस की मान्यता है कि किसी अपराध के बारे में एक ट्रायल होता है और एक बात के विरुद्ध होता है।

(व्यवधान)

अगर ऐसा कल आप ने कहा था कि वह हमारे सदन के सम्मुख उपस्थित किया जाय। यदि वह आया होता तो एक बार उसका ट्रायल हुआ होता लेकिन माननीय नवल किशोर की बात से मालूम हुआ कि एक बार आप ने उसका ट्रायल....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मै भी कानून जानता हूं, बोलने दीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

चेम्बर में आपने उसका ट्रायल किया और उसका क्षमा-पत्र प्राप्त किया और उस क्षमा-पत्र को हाउस के सामने रख दिया। पहला ट्रायल अपराधी का, वहां हुआ। फिर दूसरा यह किया कि पूरे सदन के सम्मुख उसको बुलाया...

(व्यवधान)

दूसरी बात आपने यह की कि आज पूरे सदन के सम्मुख पुनः वह व्यक्ति उसी अपराध के सिलसिले में यहां पर बुलाया गया, प्रोसीक्यूट किया गया और फिर क्षमा मांगी गयी। यहीं पर यह खत्म नहीं होता। तीसरी विचित्रता आप ने यह की कि यह प्रश्न ब्रीच आफ प्रिविलेज कमेटी के सम्मुख पूरा फेंक दिया जहां पर ब्रीच आफ प्रिविलेज कमेटी पुनः इन प्रश्नों पर जा सकती है।

(व्यवधान)

अन्तिम बात यह कहनी है कि इस प्रकार से एक अपराधी के लिये तीन तीन बार ट्रायल करना और तीन तीन बार क्षमा याचना कराना यह न्याय, कानून के विरुद्ध है और आपका यह कार्य जस्टिस के विरुद्ध है।

श्री नवलकिशोर—

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख इस बात का है कि माननीय कृष्णानन्द जी को अधिकार था कि चाहे कुछ कहते। उन्होंने मेरे नाम को घसीटा और यह बात साबित की कि मेरे बयान से यह स्पष्ट होता है कि आप के चेम्बर में ट्रायल हुआ। मैं आप के सामने यह बताना चाहता हूं कि मैं कल आपके चेम्बर के अन्दर घुसा भी नहीं हूं और मैं गया भी नहीं हूं। मैंने सिर्फ यह कहा कि जब कुछ प्रेस के लोग उनसे पूछ रहे थे। उस समय मैंने यह बात सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे यहां अमरीका में ऐसी बात नहीं होती। एक बात यह। दूसरे कृष्णा नन्द जी ने यह कहा कि तीन ट्रायल हुए। इस बात पर मैं स्पष्ट अपनी राय देना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि आप ने यह फरमाया कि उनको हाउस के सामने पेश किया जाय। बाद में आपने कहा कि मैं उनसे इन्क्वायरी कर लूं। उसके बाद पेश करूं। मेरा कहना यह है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज का ट्रायल करने का आप को अपने चेम्बर में कोई अधिकार नहीं है। कन्टेम्ट आफ दि हाउस का मसला या तो हाउस के सामने होगा या प्रिविलेज कमेटी के अन्दर होगा, चेम्बर के अन्दर नहीं होता। तो मेरा यह कहना है कि आप ने जो कुछ किया है मैं उस को एक इन्क्वायरी आफ फैक्ट मानता हूं, ट्रायल नहीं मानता हूं।

नवम्बर २ मान्यवर, यह है कि ट्रायल की बात तो आप ने ही कल उनसे कही कि आप पर चार्ज लगा है और आप को मांफी मांगनी चाहिये। फिर उस के प्रोसीजर की बात है उसमें फिर दो हिस्से किये गये। एक हिस्सा वह जो यहां तय किया गया और दूसरा प्रिविलेज कमेटी में तय होगी। तो यह सारी प्रोसीडिंग्ज जो अभी तक हुई हैं सही है। फिर एक व्यवस्था चाहे जो हो। जो आप दें हाउस में क्या उस पर कोई व्यवस्था हो सकती है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। देखिये, मैं निवेदन कर दूं कि किसी भी विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता बिना अध्यक्ष के सम्मति के। जैसा कि माननीय नवल किशोर जी ने कहा, सम्मति दी जाय या न दी जाय और प्राग्दर्शन में कोई केस बनता है या नहीं, यह देखना मेरा फर्ज है जो बातें यहां हुई थीं उनके सम्बन्ध में कुछ बातें जानने के लिये मैंने बुलाया। कुछ लोगों ने और दोषारोपितों ने आकर कुछ बातें कहीं मेरे पास, मैं सुनता रहा। मैंने उन लोगों से कहा कि कल आप लोगों को सदन के सामने उपस्थित होना होगा, आप बांड भरिये। उन्होंने कहा कि वकील की राय लेना चाहते

हैं। मैंने कहा कि आप राय ले सकते हैं। तो ट्रायल नहीं हुआ, केवल इन्वेस्टीगेशन, एन्क्वायरी के रूप में अन्वेषण हुआ जैसा कि मुकदमों में हुआ करता है। फौजदारी के मुकदमों में अगर आप जानना चाहते हैं तो इन्वेस्टीगेशन, सेशन के केसेज में मैजिस्ट्रेट के यहां होता है या नहीं होता है ? तो फिर मैंने जब एक मरतबा सदन के समक्ष कह दिया, वह पेश होंगे दोषारोपित व्यक्ति, तो मुझे, जब सदन बैठा हो, उपवेशन में हो तब मुझे यह अधिकार नहीं है कि किसी को, सदन का अवमान करने वाले को, अपने मन से छोड़ दूं। मेरा कर्तव्य था कि वह चाहे मेरे सामने कुछ भी कहें, मैं इस आदरणीय सदन के सामने उनकी बात रखूं और यदि सदन चाहे जैसा आप ने चाहा, उनको यहां उपस्थित किया ताकि सदन के सामने आकर वह क्षमा याचना करें। वे उपस्थित हुये और उन्होंने क्षमा याचना की और आपने सर्वसम्मति से उनको क्षमा प्रदान की।

अब दूसरा सवाल यह है कि कुछ लोगों का कहना यह है कि इसके पीछे कोई षडयंत्र था। बहुत सी बातें मुझसे कही गयी जो मैं अभी नहीं कहना चाहता, लेकिन उचित यह है कि ऐसे विषय को मैं विशेषाधिकार समिति के पास भेजूं, ताकि स्पष्ट निर्णय हो जाय।

यह शिकायत की गयी कि जब इनका कैमरा बाहर रखवाया गया तो क्योंकर वह कैमरे को लेकर वापस हुये और वापस हुये तो किसके आदेश से वह स्पीकर गैलरी का पास होते हुये प्रेस गैलरी में कैसे गये। यह दोषारोपण है। यह सब चीजें हैं जिसके लिये मैं समझता हूं कि इस सदन को मर्यादाओं लिये और प्रजातांत्रिक पद्धतियों के संरक्षण के लिये आवश्यक है कि हम इसका अन्वेषण करें। और हम चाहते हैं इसकी जांच हो और मेरा विश्वास है कि हमारे सदस्य जो विशेषाधिकार समिति के हैं वे इसका निष्पक्ष अन्वेषण करने की क्षमता रखते हैं। इस विषय में मुझे क्षमा करेंगे माननीय कृष्णानन्दराय जी, मैं उनसे सहमत नहीं हूं और आप के व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

आप ने अभी जो व्यवस्था दी है मैं उसी सम्बन्ध में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जब यह प्रश्न ब्रीच आफ प्रिविलेज का हाउस के सामने हुआ है और उसके लिये माफी या सजा या रिमान्ड हाउस के सामने आ गया तो फिर वह प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर कोई प्रश्न षड्यंत्र का रह जाता है या ब्रीच आफ प्रिविलेज का रह जाता है तो वह सदन के परव्यू की बाहर की बात है। अगर आप समझते हैं कि इन तथ्यों के अलावा और भी ब्रीच आफ प्रिविलेज का कोई प्रश्न बाकी है और उनसे माफी लेकर भी बाकी रहता है और उस प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति को भेजे और वहां से रिपोर्ट आने पर फिर विचार करें, तो मैं इसको आवश्यक नहीं समझता हूं। आप ने एक मर्तबा उनसे लिखित माफी लेकर, उन अभियुक्तों को यहां बुलाकर माफी मंजूर करा ली और माफी मंजूर कराने के बाद ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न फिर रह जाता है तो यह चाहे जितनी भी प्रक्रिया हो या कोई भी बात रह जाती हो, उस की इन्क्वायरी पुलिस की इन्क्वायरी में या कोई की इन्क्वायरी में देना चाहिये। अब यह प्रश्न ब्रीच आफ प्रिविलेज का विशेषाधिकार समिति में भेजने का नहीं रह जाता है।

परिवहन विभाग के मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों पर कथित लाठी चार्ज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कार्य स्थगन के ३, ४ प्रस्ताव आये हैं। इनको मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं, नियम ५२ के रूप में लिया है। जिनके नाम से यह सूचनाएं है वह है—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री रामकिशोर त्रिपाठी, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री दौलत लाल, श्री मंगल देव, श्री रामसुन्दर शास्त्री तथा श्री सन्त सिंह यूसुफ। इनमें लिखा है कि

[श्री अध्यक्ष—]

राजकीय परिवहन विभाग के कार्यालय में शान्त राजकर्मचारियों पर भीषण लाठी चार्ज हुआ है। इस सम्बन्ध में मन्त्री जी, कब बयान दिया जायगा ?

श्री परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

जब यह खबर मुझे मिली कि इस तरह का एक एडजर्नमेंट मोशन हाउस में आया है तो मैंने ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर से इसकी इन्क्वायरी की। उन्होंने यह कहा कि वहां पर किसी किस्म का कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप कोई स्टेटमेंट इस विषय में देना चाहते हैं तो दे दीजिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या उनको इस बारे में कुछ सूचना है ?

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल पूछ लीजियेगा। उनको जो सूचना है। बतला देंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

उनको सब सूचना होनी चाहिये कि कैसे लाठी चार्ज हुआ है, किसने लाठी चार्ज किया है यह सब जानकारी उनको कर के यहां पर कोई स्टेटमेंट देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल पूछ लीजियेगा।

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर से दरियाफ्त किया था। उन्होंने कहा कि टेढ़ी कोठी में जहां पर उसका आफिस भी है वहां कोई वाकया नहीं हुआ है। तो कोई सवाल लाठी चार्ज का पैदा नहीं होता। इसलिये मैं बयान क्या दूं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर पुलिस फोर्स कितना है ? और क्या यह भी सही है कि १०, १५ ड्राइवर और कंडक्टरों को पकड़ लिया गया था और उनसे कहा जा रहा था कि गाड़ी चलाओ ?

श्री मुजफ्फर हसन—

पुलिस फोर्स जिस तरह से शहर में और जगह है वैसे ही वहां भी है और किसी को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने की कोई इत्तला नहीं है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

क्या परिवहन मन्त्री जी को ज्ञात है कि परिवहन विभाग के कर्मचारी जो काम पर लौटना चाहते हैं उन को कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता तथा अन्य कुछ लोग उन को रोक रहे हैं और वे उन को काम पर लौटने देना नहीं चाहते और धमकाते हैं ? बड़ा सकी परिवहन मंत्री जी को सूचना है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसी शिकायत है कि जो लोग आना चाहते हैं उन के रास्ते में रुकावट पैदा की जाती है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मंत्री जी के विरुद्ध मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। उन्होंने जानबूझ कर झूठ बोला है। वह सवाल के जवाब में कहते हैं कि कोई घटना नहीं हुई और दूसरे जवाब में कहते हैं कि वहां राजनीतिक कार्यकर्ता उनको रोक रहे थे। तो मेरा यह कहना है कि दोनों बातें बिलकुल झूठ हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह आप बाद में कह दीजियेगा।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस देता हूं कि उन्होंने "झूठ" शब्द का प्रयोग किया है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

आपने टम्बेश्वर प्रसाद जी को कितनी बार अभी तक समय दिया है बोलने का?

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं इसलिये सरकार ने कोई इंतजाम किया है। प्राइवेट बसों को लाइसेंस दे कर उन जगहों पर चलाने के लिये? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैं हाउस को इत्तला देना चाहता हूं कि आज साढ़े ९ बजे से रोडवेज की ८ रूटों पर बसें चल रही हैं जहां शान्ति और सुकून है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कल रोडवेज के कितने कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुयीं हैं? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने अखबार में पढ़ा है कि दो रोडवेज के कर्मचारी पकड़े गये हैं।

एक सदस्य—

अखबार में मैंने भी पढ़ा है। लाठीचार्ज की बात भी पढ़ी है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो सरकारी बसें हड़ताल पर हैं उनकी जगह पर दूसरी प्राइवेट बसें चलायी गयी हैं और उन पर जो कंडक्टर और ड्राइवर काम कर रहे हैं उनको भी पुलिस बाई फोर्स काम करने की कोशिश कर रही है और वह काम करने आते नहीं थे और जो हड़ताली कर्मचारी थे ऐसी हालत में वहां पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया, क्या इसकी जांच मंत्री जी करायेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—

कहीं कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं हुआ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय मन्त्री जी ने अभी उत्तर दिया था कि मुझे सूचना मिली है कि कर्मचारी काम पर आना चाहते हैं और उन के रास्ते में रोक पैदा की जा रही है। उन के विभाग के कर्मचारियों को इस तरह रोके जाने की सूचना भी उन को मिली तो उन्होंने कोई प्रयास अभी तक किया कि जो रोक पैदा की जा रही है वह हटायी जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

आज कल जो हालात हैं उन में कोई स्पेशल इन्तजाम का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय रामायण राय ने पूछा था कि कुछ राजनैतिक पार्टियों के लोग कन्डक्टरों और ड्राइवरों को रोक रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा, हां, सूचना मिली है. . . .

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने यह कहा था कि यह सूचना मिली है कि जो लोग आना चाहते हैं उनको कुछ लोग रोक रहे हैं।

श्री ऊदल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह रोकने वाले किस-किस राजनैतिक दल के लोग हैं और उनके नाम क्या हैं और किन को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने यह कहा कि कुछ लोग रोक रहे हैं, मैंने किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला मेरठ)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने यह सूचना दी कि लाठी चार्ज नहीं हुआ, जब कि लाठी चार्ज हुआ और गिरफ्तारी भी हुई, क्या इसकी जांच करायेंगे और झूठी इन्फार्मेशन देने के लिये उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इन्क्वायरी का कहां सवाल पैदा होता है ? उन्होंने इत्तला दी कि कोई वाकया हुआ नहीं।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे जैसा कि माननीय रामायण राय जी ने कहा कि कुछ राजनैतिक पार्टियों के लोगों का रोकने में हाथ था, तो क्या उन रोकने वालों में कांग्रेस पार्टी के नेता, माननीय चन्द्रभानु गुप्त और रामायणराय भी सम्मिलित है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री रामायण राय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि माननीय राज नारायण, नेता, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ने कर्मचारियों को भड़काया है..... (व्यवधान)

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर लाइन आदि पर जितने आन्दोलन हुये थे सब शान्तिमय हैं

या अशान्तिमय हैं ? अगर शान्तिमय हैं तो कार्यवाही कमजोर की गयी, अगर अशान्तिमय हैं तो सख्त से सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की गयी और जो पार्टियां अशान्तिमय आन्दोलन चला रही हैं उनके खिलाफ क्या मुख्य मंत्री जी कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कल जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के संबंध में गिरफ्तारियां हुई हैं, उन लोगों के बदन पर जो चोटें आयी हैं वे कैसे आयी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

मुझे तो कोई इत्तला नहीं है कि जो पकड़े गये उनको कोई चोट है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि क्या प्राइवेट बसें चलायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विचार कर रही है कि इस राज्य का ट्रांसपोर्ट विभाग प्रान्त की सेवा करने में असमर्थ रहा है इसलिये उन्हें डिनेशनलाइज कर दिया जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन--

अधिकारियों की कोशिश है कि काम जारी रहे ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन रूट्स पर बसें चल रही हैं उनको ट्रांसपोर्ट विभाग के ड्राइवर्स चला रहे हैं या किसी और विभाग के या प्राइवेट ड्राइवर्स चला रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

आज जो बसें चल रही हैं उनको ट्रांसपोर्ट विभाग के ड्राइवर्स चला रहे हैं और एहतियात के तौर पर उनमें खुद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सफर कर रहे हैं ताकि कोई गलत बात न हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब यह विषय समाप्त ।

उच्च न्यायालय में हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री सत्य नारायण पांडेय तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले ने नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना दी है । माननीय टम्बेश्वर प्रसाद ने भी एक सूचना दी है, जो इसी प्रकार की है । प्रदेश में जनता की कठिनाई बढ़ गयी है । इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो लोग यहां आये हैं, हाईकोर्ट में चूंकि हाईकोर्ट और अन्य सिविल अदालतें बन्द हैं इसलिये लोग परेशान और चिन्तित है कि न मालूम उनके मुकदमें में क्या होगा । इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । मन्त्री जी, इस पर कब बयान होगा ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

दो तीन दिन के बाद ।

श्री अध्यक्ष--

तो इस पर सोमवार को बयान होगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना श्री विजयपालसिंह, श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री ऊदल, श्री रघुवीर राम, श्री मंगल देव, श्री राम सुन्दर शास्त्री तथा कई अन्य के है, उन्होंने प्राइवेट नलकूपों के लिये विद्युत न मिलने के सम्बन्ध में दिया है जिससे सिंचाई के साधन उपलब्ध नही हो रहे हैं । यह विशेष विषय है, इसको भी मैं माननीय मंत्री के पास शीघ्र कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं ।

इसी प्रकार से माननीय शिवनाथ सिंह का भी देवरिया के छितौनी बांध के सम्बन्ध में है, एक माननीय लक्ष्मी सिंह का है, इसको भी मैं माननीय मंत्री के पास भेज रहा हूं कि उसी बयान में इसको भी शामिल कर लिया जाय।

राजकीय कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने के संबंध में किये गये प्रयत्नों के बारे में जानकारी की मांग

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

मैं जानना चाहता हूं कि तमाम सूबे में एक किस्म से कामगाज ठप्प है, चाहे हाईकोर्ट का काम हो, चाहे सिविल कोर्ट का काम हो, चाहे ट्रांसपोर्ट विभाग का काम हो, चाहे लेबर का काम हो, तो सरकार इन तमाम को देखते हुए कि ५ दिन से कामकाज सब ठप है क्या इसके समाधन के लिये कोई योजना सरकार के पास है ? अपोजिशन पार्टी के लोग भी इसके लिये तैयार हैं कि किसी तरह से प्रान्त में नार्मेलसी लायी जाय । विरोधी दल के नेता भी इस सम्बन्ध में सरकार से बातचीत करना चाहते है । अभी जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, उनसे तथा खास तौर से चीफ मिनिस्टर से मेरा यह प्रश्न है कि किस तरह से नर्मेलसी लायी जाय ।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, यह हमारे सबके लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली से होकर लौट आई हैं । मुझे ऐसा विश्वास है कि प्रदेश की सारी परिस्थितियों को वहां आपने केन्द्रीय सरकार के सम्मुख रखा होगा और उनसे आपने परामर्श भी अवश्य किया होगा और आप वहां से कुछ लेकर आई होंगी । कुछ नई बात सुनाने के लिये हमें यहां आई होंगी । मैं आप से कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष--

आप तो बहस करने लगे । (व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैं कोई लम्बी बात नहीं कहना चाहता हूं। आपने देखा है कि आज प्रदेश की स्थिति क्या है । नगर के अन्दर यह रोष इसलिये व्याप्त है कि विरोधी दलों के लोगों की बात को न सुनी जाती है न उनकी बात पर विचार किया जाता है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत ठंडे दिल से बातों को सोचा होगा और ऐसा वातावरण बनेगा कि हम भी उन्हें सोच सकें । क्या ऐसी स्थिति वह उत्पन्न करेंगी कि जितनी बातों से हम आन्दोलित हैं उन पर विचार किया जा सके ? मैं चाहता हूं कि यहां पर सभी विरोधी दल के लोग हैं मुख्य मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो उन सबके साथ बैठकर शान्तिमय तरीके से स्थिति पर विचार कर लें, एम्पलाइज का प्रश्न हो, चाहे बांदा का प्रश्न हो, जिनको लेकर उत्तर प्रदेश में आन्दोलन पैदा हो गया है।

(व्यवधान)

जैसाकि अभी कहा गया, राज्य कर्मचारियों के अन्दोलन को राजनैतिक दलों से संबंधित होने का आरोप लगाया गया। मैं बिलकुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनका किसी भी राजनैतिक दल से कोई भी सम्पर्क नहीं रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो मैं समझता हूं वह राज्य कर्मचारियों और राजनैतिक दलों के प्रति अपना अविश्वास प्रकट करता है। राजनैतिक दल उसमें किसी भी प्रकार सम्मलित नहीं हैं। सारा राजकाज जितना है ठप्प है। मैं यह भी जानता हूं कि इसे मुख्य मंत्री और सरकार भी जानती है। इसलिये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इसे हमें प्रिस्टीज ईश्यू नहीं बनाना चाहिये। हमें शान्ति का वातावराण बनाकर एक साथ बैठकर इसे हल करना चाहिये इसमें राज्य कर्मचारियों को बुलाया जाए। कुछ सरकार की तरफ से हो जिससे सामान्य वातावरण हो, विक्टीमाइजेशन न हो, मुकदमें वापस लिये जायें और लोग काम पर वापस आने लगें। एक बात और, आज का वक्तव्य पढ़कर मुझे बड़ा दुख हुआ जो कल काउन्सिल में माननीय शिव प्रसाद ने कहा कि कल कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप तो बहुत कह रहे हैं। आप तो पूरी बहस कर रहे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता था कि एक तरफ जब कि सभी ओर से यह वक्तव्य प्रसारित हो रहे हैं कि लाठी चार्ज हुआ और फिर माननीय मुख्य मंत्री ने यह कैसे स्वीकार किया कि लाठी आन्डिशिंग हुआ। आप चाहें दोनों पक्षों को रख लीजिये या और कोई तरीका निकाल लीजिये। यह आप पर दोषारोपण नहीं है। सारी बातों को देख कर आप अपना फैसला दीजिये। मैं चाहता हूं कि आप इस पर कोई वक्तव्य अवश्य दें और इसके जो दूरगामी भयंकर परिणाम हैं वे हमारे सामने हैं। स्थिति बड़ी गम्भीर है। मुझे ऐसी आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री प्रेस्टिज इश्यू को इससे अलग रख कर अपना स्टेटमैंट देंगी और ऐसा वातावरण पैदा करेंगी जिससे स्थिति सामान्य हो सके।

*मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही कि देश का वातावरण नहीं विगड़ना चाहिये। सही बात है। इस समय कुल देश, हमारा प्रान्त ही नहीं, बहुत ही गम्भीर स्थिति से गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत ही विकट है। उस आर्थिक स्थिति से किस तरह देश को निकालें, इस परेशानी को इस बार भारत के केन्द्रीय जितने नेतागण हैं, चाहे वे जहां पर बैठे हुये हैं, चाहे पद पर हैं या पद के बाहर हैं, वे समझते हैं कि अगर वे देश को इस परेशानी से नहीं संभाल पाये तो पता नहीं कि क्या परिस्थिति होगी। उस आर्थिक स्थिति से परेशानी, अराजकता सभी जगह फैलेगी। उसको किस तरह से संभालें, वह हम सब समझते हैं। मैं तो माननीय नेता विरोधी दल से कहना चाहती हूं कि वे खुद ही समझ सकते हैं कि मेरे मन में कोई सुख नहीं था जिस परिस्थिति से आज हम गुजर रहे हैं। जो जिम्मेदार पद पर नहीं हैं वे तो सरकार पर दोषारोपण करके छुट्टी पा जाते हैं। परन्तु जो अपने सरकारी मुलाजिम हैं उनके साथ किसी को झगड़ा करने में कोई सुख नहीं है। फिर भी जो मुलाजिम और कोई आदमी जो जहां पर है वह यदि समझे कि मैं कानून अपने हाथ में ले कर चल सकता हूं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

कानून से ऊपर हूं तो समय आता है जब सख्ती करनी पड़ती है। मैं स्वभावतः सख्ती करने वाली नहीं हूं। मेरे ऊपर इल्जाम यह लगाते हैं कि आपने सख्ती पहले नहीं की थी। दिल्ली में जब इसके बारे में समालोचना हुई लोग यही कहते थे कि आपने कितनी सख्ती की। सख्ती मैंने नहीं की। जैसा मैंने कहा कि अगर सरकार इनकी गलतियों पर भी सख्ती न करे तो शायद आगे जाकर स्थिति और गम्भीर हो जाय। मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकारी मुलाजिम जो कम तनख्वाह पाते हैं उनके लिये हम लोगों ने हर समय कोशिश की कि विचार करें। जो सरकार एक दफा २३ करोड़ रुपया सालाना पहले निकाल चुकी है उसी सरकार को दो चार महीने के अन्दर फिर रुपया निकालना मुश्किल होता है।

विशेषकर जब यह प्रान्त बड़ा भारी प्रान्त है और एक गरीब प्रान्त है और लोगों की एवरेज इन्कम इतनी कम है कि कर उन पर लादा नहीं जा सकता। सरकार के सामने यह अवस्था आ गयी है। जो गवर्नमेंट को चलाते हैं उनको बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। एक तरफ तो प्लानिंग कमीशन दबाव डाल रहा है कि अपने रिसोर्सेज रेज करो और दूसरी तरफ लोगों की गरीबी को देखकर रिसोर्सेज के रेज करने में दिल दुखता है। हम यह फैसला कर चुके हैं कि अभी हमें कर नहीं बढ़ाना है। मगर मैं आप लोगों की राय लेना चाहती हूं। २-३ दिन पहले ही ये सब बातें मैं आपके सामने रख देना चाहती थी। जहां तक केन्द्र का सवाल है हमको मदद करने का, उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है जो वे हमको अधिक मदद कर सकें। ओवर आल प्लान के लिये अथवा दूसरे कामों के लिये वे हमें बहुत ज्यादा रुपया नहीं दे सकते हैं। उनको खुद तंगी है इस वक्त। हम लोगों को उन्होंने १० प्रतिशत कटौती करने को कहा है। किस तरह से उसको करें यह समस्या हमारे सामने है। दूसरी तरफ साढ़े सात करोड़ रुपया गवर्नमेंट सर्वेन्ट के लिये लाना चाहते हैं। एक ओर तो हमारे सामने यह मांग है कि किसी की छटनी न हो। मैं भी चाहती हूं कि कोई की छटनी न हो। सरकार यह जानती है कि सुपर-फ्लुअस स्टाफ है। लेकिन जिस तरह से कारखाने में ज्यादा मजदूर होते हैं और रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन छटनी नहीं कर सकते, इसी तरह से गवर्नमेंट के सामने भी इसी प्रकार की समस्या है। सुपरफ्लुअस स्टाफ है, जिसकी वजह से काम भी ठीक नहीं होता। लेकिन साथ ही यह भी समझते हैं कि महंगाई का समय है, किस परिवार की रोटी छीन लें। ये सारी मुश्किल और दिक्कत हमारे सामने हैं। इन सब के होते हुए भी हमने बचत की है और प्रयास कर रहे हैं। यह भी है कि सारे भारत में यही एक सरकार है जिसने इतना बड़ा फैसला लिया है कि १००० रुपया पाने वालों से ऊपर की तनख्वाहों में हम कोई बढ़ोत्तरी नहीं करेंगे। यह भी साहस कुछ कम नहीं है। गवर्नमेन्ट चाहती है कि बड़ी तनख्वाह पाने वालों और छोटी तनख्वाह पाने वालों का फर्क कम हो। तो एक तरफ हम ७ करोड़ की बचत करना चाहते हैं दूसरी तरफ १५ करोड़ हम निकाल चुके हैं साढ़े सात करोड़ और निकालना चाहते हैं। इन्हीं कारणों से इतना सब चिन्तन हमको करना पड़ता है। कई बार केन्द्र में भी जाना पड़ा। इधर चरण सिंह साहब को भी इस समस्या को देखने के लिये कहा गया कि सहानुभूतिपूर्वक वे इस सबको देखें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है।

जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से रुपया प्राप्त करने की बात है, हम वह भी प्रयत्न कर रहे हैं। यद्यपि इस विषय में वे भी परेशान हैं लेकिन हमारा उनसे एक आर्ग्युमेंट यह है दूसरी स्टेट्स ने बैंकों से ओवर ड्राफ्टिंग किया है जिन स्टेट्स ने ओवर ड्राफ्टिंग किया है केन्द्रीय सरकार को उनकी मदद को आना पड़ा।

जब हमने ओवर ड्राफ्टिंग नहीं की, केन्द्रीय सरकार को हमने कभी पेनेलाइज नहीं किया और अब जब हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद उनको करनी चाहिये। १५ करोड़ हम निकाल चुके हैं, ७ सात करोड़ की बचत करना चाहते हैं और अब साढ़े सात करोड़ और

निकाल नहीं सकते, मुश्किल में हैं, उनको हमारी मदद करनी चाहिये। ११ तारीख को गवर्नमेंट सरवेन्ट्स के रिप्रेजेन्टेटिव्स मुझ से मिले थे, जो उद्दंड किस्म के नहीं थे। उन्होंने कहा कि ३१ तारीख तक कोशिश कर लीजिये और बाद को हमें बता दीजिये। १६ तारीख को हमारी एक मीटिंग हुई और उसके बाद दिल्ली जाने का प्रयास किया। मगर मुझे उन्हीं लोगों ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर बाहर हैं, अभी आने से कोई फायदा नहीं है वह आ जायं, फिर आकर बातचीत करियेगा। आप लोगों को मैं बहुत नम्रता से बताना चाहती हूं कि आर्थिक स्थिति केन्द्रीय सरकार की भी बड़ी कठिन है तो इस कठिन स्थिति में करोड़ों रुपया यकायक निकालना मुश्किल है। मुझ से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा अगर हम इन लोगों को ज्यादा दे सकें, बड़ी अच्छी बात है, महंगाई को कोई डिनाई नहीं करता। उन के कहने पर हम नेयह समझी जब उन्होंने ११ को बात यह कही कि हम ऐसा कदम अख्तियार नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि एक सेक्शन ने नहीं किया, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की। मैं केन्द्रीय सरकार के पास गई, इतने में कुछ लोग, मुझे माफ करियेगा, इस के पीछे पालिटिक्स है या नहीं, कड़वी बात मैं नहीं कहना चाहती लेकिन चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, जनसंघ हो कोई भी पार्टी हो, दूसरों को भी मौका है यहां बैठने का। कोई भी बैठे, कोई भी गवर्नमेन्ट नहीं चला सकेगा जब तक उन के अपने लोग डिसिप्लिन्ड नहीं रहेंगे। गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट के ऊपर एक्सट्रा डिसिप्लिन रहनी चाहिये, गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स एसेंशियल सर्विसेज अपनी मानें। मैं नहीं मानती कि सब लोग खराब हैं लेकिन जिन्होंने उन को मिसगाइड किया है, उन्होंने स्टेट की कोई सर्विस नहीं की है ..... (व्यवधान)

मैं तो माधव प्रसाद जी से कहना चाहती हूं कि हमारे सामने केन्द्र से मदद लेकर कुछ न कुछ रास्ता निकालने का सवाल है, उससे हमने इनकार नहीं किया, हम प्रयास करेंगे और कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहते हैं लेकिन जो बातें मैंने कहीं और जैसे रिएक्शन खराब है और जो जहां तक इनडिसिप्लिन है, जिस तरीके से लोग चल रहे हैं, जिस तरीके से पैसा मांग रहे हैं उस से हम इस सवाल को हल नहीं करेंगे। जब तक नार्मल चेनेल्स में काम शुरू नहीं होगा। मैं माननीय विरोधी दल के नेताओं से भी इस विषय में बातचीत करना चाहती हूं, मुझे खुशी होगी आप सब आयें, यह नेशनल मामला है मेरी अपनी कोई समस्या नहीं है। आप लोग जो कुछ अच्छा भला होगा समय के अनुसार अगर रास्ता निकाल सकें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप को भी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट को यह समझाना चाहिये कि वह अच्छा वातावरण बनायें, जो कदम उन्होंने उठाया है वह उन्हें पीछे लेना होगा, वह उसे पीछे ले लें, शांत का वातावरण हो तो हम सहानुभूतिपूर्वक अच्छी तरह से विचार करेंगे और इस संकट को दूर कर सकेंगे। जैसा आप लोग कह रहे हैं मैं उतनी भी ही सहानुभूति और नम्रता से कह रही हूं जैसा कि माधव प्रसाद जी ने ..... (व्यवधान)

सारी बातें हम बैठकर कर लें, जो डिटेल में चाहते हैं हम हर एक चीज करने को तैयार हैं लेकिन डिसिप्लिन बिना काम चल नहीं सकता, उसको हम जरूर इनफोर्स करेंगे, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, हमारी उन की कोई अदावट नहीं है ..... (व्यवधान)

जब अपनी सन्तान गलत रास्ते पर जाती है तो माता-पिता को दंड देना पड़ता है, गलत रास्ते पर जाने से प्रेसक्राइब्ड मर्यादायें भंग होती हैं और किसी भी सभ्य समाज में हो, एक संस्था में मर्यादाओं के अन्दर ही एनी सिविलाइज्ड ह्यूमेन सोसाइटी मर्यादाओं के अन्दर ही आगे चल सकती है। जो कानूनी मर्यादायें हैं उनके बिना हम चल नहीं सकते। यहां भी हम नहीं बैठ सकते हैं अगर कानून और मर्यादाओं के अन्दर न रहें। गवर्नमेन्ट सरवेन्टस के ऊपर शासन को चलाने की पूरी जिम्मेदारी है। उनके बिना कैसे काम संभाला जा सकता है। अन्त में यह कहना चाहती हूं कि आपने जो अपील की है जब आप चाहें हम लोग बैठकर बातचीत करलें। मैं सारी समस्याओं का समाधान करने के लिये तैयार हूं।

(श्री रामायण राय जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय रामायण राय जी को मंत्री जी से भी अधिक परेशानी हो रही है। मालूम पड़ता है कि मंत्रियों से भी अधिक वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। श्रीमन्, आज इस सदन के उपवेषण का चौथा दिन है। इन दिनों में जो अभूतपूर्व घटना घटी हैं, जैसे बांदा की, सरकारी कर्मचारियों की, हम लोग सब, विरोधी दल के यह सोचते हैं कि इस प्रदेश का जो अशांतिपूर्ण वातावरण है, जो असामान्य स्थिति है, वह पहले सामान्य हो। मैं माननीया सुचेता जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई बच्चा अगर भूखा रहता है और वह दूध मांगता है उसे न दे। दुनिया के इतिहास की बात कहता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने सेवकों पर लाठी चलाती है। अगर वे इसका हल चाहते हैं तो हल हो जाय।

(व्यवधान)

श्रीमन्, इनको मना कीजिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी की बात सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि माननीया सुचेता कृपालानी जी खुद कहें कि राज्य कर्मचारियों पर लाठी चार्ज हुआ। सारे प्रदेश के लोग और आपके दिल में भी इच्छा होनी चाहिये और है, सही बात कहो है, लाठी चली। तो किसका दोष है? इसमें सरकार की बात नहीं मानी जायगी। आप जुडिशियल इन्क्वायरी बैठायें और फैसला हो जाय कि लाठी किस के आदेश पर चली।

श्री अध्यक्ष—

यहां तो बहस हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, बहस नहीं है। मैं तो उनके सामने अपनी तकलीफ को बताता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर ये बातें हो चुकी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

बार-बार मुख्य सचिव के हटाने की की मांग की जाती है मगर ये कुछ करने को तैयार नहीं हैं तो हमारे ऐसे व्यक्ति इधर के बैठने वाले जो सदस्य हैं शांतिपूर्वक, इनके कामों में सहयोग नहीं दे सकते।

(अगली मद लिये जाने तथा मुख्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष जी, आप कांग्रेस पार्टी के लोगों को...

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया कर बैठ जायें।

श्री जे० पी० मिश्र—

४ दिन हो गये, एक लफ्ज नहीं बोलने देते। विरोधी पार्टी वे लोग ही बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब इसके बाद ही बोलियेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है इसलिये हम सदन का परित्याग करते हैं।

(संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

यह अव्यवस्थित बात है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, माननीय मख्य मंत्री ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया इसलिये मैं भी सदन से अपने दल के साथ वाक आउट करता हूं।

(साम्यवादी दल के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

†प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।....

राजकीय कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने के सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों के बारे में जानकारी की मांग (क्रमागत)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, आप की आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं, इसमें मुझे गलत न समझें, क्षमा करेंगे। बड़ी विनम्र प्रार्थना की थी, माननीय मुख्य मंत्री ने जितना भाषण दिया उस में मैं समझता हूं एक भी बात छू नहीं गई जिसके बारे में मैंने कहा था। विक्टीमाइजेशन के बारे में नहीं कहा और कहा कि आप लोग आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, यानी इतनी उपेक्षा की दृष्टि है कि हमें बुलाकर बात नहीं करना चाहती हैं, हम भी इस परिस्थिति को सम्हालना चाहते हैं। आप पता नहीं क्या सोचते हैं, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है। फिर भी हम आप के कार्य में बाधा नहीं डालना चाहते। हमको बड़ा दुख है और हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि अपोजीशन पार्टी के लोग नार्मेलसी लाना चाहते हैं हाउस के अन्दर भी और बाहर भी। एक शांत वातावरण बने और उस के लिये एक दरख्वास्त की गई थी माननीय मुख्य मंत्री से। आज तो तमाम सूबे में सरकारी कामकाज ठप्प हैं, यहां पर भी सी० आई० डी० के रिपोर्ट्स हैं। आप का तमाम सेक्रेटेरिएट बन्द है, असेम्बली सिर्फ चल रही है, इस चीज का कोई अन्त आप के पास है....

श्री अध्यक्ष—

यह बात आप कई रोज से कह रहे हैं।

---

†२० जुलाई, १९६६ की कार्यवाही में छपा है।

श्री बलवानसिंह—

आप विरोधी दल के नेताओं से बैठ कर बात करें। हम नहीं कहते कि ७ करोड़ लायें, आप की फाइनशियल डिफिकल्टीज हैं, लेकिन इस सूबे के सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई हल अगर मुख्य मंत्री निकालना चाहती हैं....

श्री अध्यक्ष—

जो कुछ उन्हें कहना था कह दिया।

श्री बलवानसिंह—

इन्होंने बड़ा गोलमाल कहा है। ऐसी सूरत में जब सारे सूबे का काम ठप्प पड़ा है और कैयास हो रहा है, बल्कि मैं जिम्मेदारी के साथ कहने को तैयार हूं....

श्री अध्यक्ष—

देखिये। आप इतनी देर तक नहीं बोल सकते हैं।

श्री बलवानसिंह—

इस तरह हाउस को चलाने से क्या फायदा होगा? इसलिये शांति के साथ इस चीज का कोई सोल्यूशन निकालिये, रास्ता कोई निकालिये आखिर.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय बलवान सिंह जी, आप इस तरह से नहीं बोल सकते। मैंने उनको बुलाया था, आप कृपा कर बैठें। आप अगर जाना चाहते हैं तो कह दीजिये कि मैं जा रहा हूं। आप तो व्याख्यान देने लगते हैं।

श्री बलवानसिंह—

माननीय मुख्य मंत्री कोई शांत वातावरण के लिये तैयार नहीं हैं और विरोधी दल से बात करने के लिये तैयार नहीं हैं, न कर्मचारियों का विक्टिमाइजेशन हटाने के लिये तैयार हैं, इसलिये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इस के विरोध में वाक आउट करती है।

(प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जे०पी० मिश्र—

एक मिनट इधर भी मेहरबानी कर देंगे?

श्री अध्यक्ष—

आप भी वाक आउट करेंगे? इसके बाद बोलियेगा। (व्यवधान) मैं सुनूंगा जरूर।

श्री जे० पी० मिश्र—

दो मिनट का टाइम दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप मिश्रा जी बैठ जायं।

श्री जे०पी० मिश्र—

एक बात मैं कह दूं। मेरे भी अधिकार हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का मेम्बर हूं। कांग्रेस पार्टी पर आपकी निगाह रहती है इसलिये हम बैठ जाते हैं। लेकिन अब आपको सुनना होगा। थोड़ी बात आप सुन लें, फिर मैं बैठ जाऊंगा। बात यह है कि मुख्य मंत्री ने बयान दिया और माननीय नेता विरोधी दलों ने कुछ बातें कहीं। तथ्य क्या है? "यू०पी० बन्द" क्रिमिनल ऐक्ट्स आफ वायलेंस के पीछे चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपको यह कहने की जरूरत है क्या ?

श्री जे० पी० मिश्र—

थोड़ी बात सुन लें। जब तक इस किस्म से कम्युनिस्ट पार्टी और एस०एस०पी० के लोग वायलेंस और एजीटेशन विथड्रा नहीं करते और वायलेंट रहते हैं और जो उत्तर प्रदेश को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं विधान सभा के अन्दर और विधान सभा के बाहर तब तक के लिये इनको सुनना बन्द करें। एस०एस०पी० और कम्युनिस्ट पार्टी को अनलाफुल डिक्लेयर किया जाय तभी उत्तर प्रदेश में शांति हो सकती है। जिनका सिद्धांत वायलेंस बन गया है, जो उत्तर प्रदेश को फूंक देना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह फौरन भारत सरकार से कम्युनिस्ट पार्टी और एस०एस०पी० को अनलाफुल एलान करने के लिये रिकमेंड करें। जब तक शांति के उसूल को वह न मानें, हिंसा पर उतारू रहें तब तक उनकी बात को न मानें और तब तक इस किस्म के नेताओं से बातचीत करना मैं समझता हूं नितांत गलती होगी। बाहर से कुछ कहते हैं, अन्दर में कुछ है और उनका मतलब कुछ है। यह कर्मचारियों का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न तो माननीय मुख्य मंत्री निबटा रही हैं। सरकारी कर्मचारियों में कुछ लोग इंफिल्ट्रेट कर गये हैं। ९० प्रतिशत कर्मचारी शांत रहे हैं और १० परसेंट इंफिल्ट्रेट कर गये हैं। वही उपद्रव कर रहे हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर से और उनकी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पहलू कर्मचारियों कर नहीं है, यह पहलू बहुत अहम है और इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ (क्रमागत)

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रस्ताव पेश किया वह यह कि उत्तर प्रदेश प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ में उसका छोटा सा एक संशोधन है कि उस ऐक्ट की धारा ६९ के अन्तर्गत सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। उन नियमों के तहत डी० आई० जी०, प्रिजन्स जो बनाया गया है उसका प्राविधान हमारे ऐक्ट में नहीं है। तो अब ऐसा है कि उस प्रिजन्स ऐक्ट में भी डी० आई० जी प्रिजन्स का समावेश कर दिया जाय और जो कार्य उनके द्वारा अब तक हो चुके हैं उनको ठीक माना जाय। तो उसको बहस करने के लिये एक छोटा सा संशोधन सदन के समक्ष लाया गया है और मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर विचार कर लेगा।

श्री अध्यक्ष—

अब इसके विरोध में कुछ कहना है किसी को? (कुछ क्षण पश्चात्) कमलासिंह जी नहीं हैं। प्रश्न यह है कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, ४, ५ और १, प्रस्तावना और शीर्षक

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) और विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश में कैदियों की प्रवृत्ति के संबंध में प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ को आगे दिये गये प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के लिए तथा उनसे संबद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

ऐक्ट संख्या ९, १८९४

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

धारा ३ का संशोधन

३—प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ के खंड (७) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:—

(७) "महानिरीक्षक" का तात्पर्य कारागार महानिरीक्षक से है, और महानिरीक्षक के ऐसे कृत्यों का सम्पादन करने के संबंध में जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या उनके अधीन किसी कारागार उप महानिरीक्षक को सौंपे जायें उसके अन्तर्गत ऐसा कारागार उप महानिरीक्षक भी है।"

धारा ५ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ की संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ाई जाय और सदैव से बढ़ाई गई समझी जाय, अर्थात्:—

"(२) राज्य सरकार एक या अधिक कारागार उप महानिरीक्षक नियुक्त कर सकती है, और वे इस अधिनियम के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन महानिरीक्षक के ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेंगे जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या उनके अधीन उन्हें सौंपे जायें।"

समझा जाना और वधीकरण

४—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुए भी—

(क) प्रत्येक कारागार उप महानिरीक्षक, पद तथा प्रास्थिति में कारागार अधीक्षक से श्रेष्ठ समझा जायगा और सदैव से ही उससे श्रेष्ठ रहा हुआ समझा जायगा।

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा की गई कारागार उप महानिरीक्षक की सभी नियुक्तियां, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गयी और सदैव से की गई समझी जायेंगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सदैव प्रवृत्त रहे हों :

(ग) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी कारागार उप महानिरीक्षक द्वारा जेल मैनुअल उत्तर प्रदेश के पैरा ९५०-ए के उपबन्धों के आधार पर किये गये किसी कार्य या की गई किसी कार्यवाही अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य या कार्यवाही को इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित अधिनियम के उपबन्धों के साथ पठित उक्त पैरा के आधार पर किया गया कार्य अथवा की गई कार्यवाही समझा जायगा मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सदैव प्रवृत्त रहे हों ;

(घ) उत्तर प्रदेश डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग्स (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल) रूल्स, १९४७ के अधीन संघठित किसी ट्राइब्यूनल की ऐसी सभी कार्यवाहियों जिसमें कारागार उप महानिरीक्षक असेसर के रूप में आमेलित किया गया हो, उसी प्रकार वैध और सदैव से वैध रही समझी जायेगी जैसे वे होती मानो इस अधिनियम के उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस धारा का खंड (क) भी है, सदैव प्रवृत्त रहे हों, और

(ङ) उपर्युक्त किसी ऐसे कार्य अथवा ऐसी कोई बात या कार्यवाही को केवल इसी कारण न तो अवैध समझा जायगा और न कभी अवैध रहा समझा जायगा कि मूल अधिनियम के किसी उपबन्ध में महानिरीक्षक के कृत्यों, प्रास्थिति या पद को निर्धारित नहीं किया गया था ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या, ५, १९६६ ।

निरसन

५—प्रिजन्स (उत्तर प्रजदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६६ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड २, ३, ४, ५ और १, प्रस्तावना और शीर्षक इस बिधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बंशीधर पान्डेय—

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन २ बजकर ८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
२१ जुलाई, १९६६ ।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१५ पर।)

बुश उद्योग सहकारी समिति नई बाजार, दोहरी घाट समिति के अभिलेख से सदस्यों की अद्यावधि सूची

१—मठेलू प्रसाद,

२—बसन्त राम,

३—छेदीलाल,

४—खुरचुन राम,

५—विन्दशरी राम,

६—छांगुर राम,

७—गब्बू राम,

८—भोला राम,

९—सुरस्वती देवी,

१०—काली चरन

११—विश्वनाथ

१२—साधू राम,

१३—गब्बू लाल,

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३४ पर)

गिरफ्तार किये गये सिपाही	मामलों की संख्या जो चालान किये गये	अदालत का निर्णय तथा दन्ड
(१) श्री भानु प्रताप सिंह	(अ) मु० इ० न० ८७ भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७।	७ वर्ष कठोर दन्ड।
	(ब) मु० इ० न० ९३ धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि०।	१० वर्ष कठोर दन्ड।
	(स) मु० इ० न० ९९ भा० दं० वि० की धारा ३९४/३९७।	१० वर्ष कठोर दन्ड।
	(द) मु०इ० न० २१५ भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७।	५ वर्ष कठोर दन्ड।
(२) श्री यदु सूदन शर्मा	(अ) मु० इ० न० ९३ भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७।	१० वर्ष कठोर दन्ड
	(ब) मु० इ० न० ९९ भा० दं० वि० की धारा ३९४/३९७।	भा० दं० वि० की धारा ३९२ के अन्तर्गत १० वर्ष कठोर दन्ड।
	(स) मु० इ० न० २१५ भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७।	५ वर्ष कठोर दन्ड।
	(द) मु० इ० न० ८७ भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७।	बरी किया गया।
	(क) मु० इ० नं० ७५ भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७।	बरी किया गया।
(३) श्री राम सनेही	(अ) मु० इ० न० ९३ भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७।	१० वर्ष कठोर दन्ड।
	(ब) मु० इ० न० २७ भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७।	बरी कर दिया गया।
	(स) मु० इ० न० ८७ भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७।	डिस्चार्ज किया गया।
(४) राम किशन	(अ) मु० इ० न० २१५ भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७।	५ वर्ष कठोर दन्ड।
	(ब) मु० इं० नं० ८७ भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७।	बरी किया गया।
(५) जय राम कठियार	मु० इ० न० ८७ भा० दं० वि० धारा ३९५/३९७।	बरी किया गया।
(६) नत्थू राम	(अ) मु० इ० न० ८७ भा० दं० वि० धारा ३९५/३९७।	७ वर्ष कठोर दन्ड।
	(ब) मु० इ० न० ९९ भा० दं० वि० की धारा ३९४/३९७।	भा० दं० वि० की धारा ३९२ के अन्तर्गत १० वर्ष कठोर दन्ड।
	(स) मु० इ० न० २१५ भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७।	५ वर्ष कठोर दन्ड।
(७) बादाम सिंह ..	(ब) मु० इ० न० ८७ भा० दं० वि० की धारा ३९६/३९७।	७ वर्ष कठोर दन्ड।
	(स) मु० इ० न० ९३ भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७।	१० वर्ष कठोर दन्ड।

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २३४ पर ।)

दिनांक २६ मार्च, १९६६ को मुहल्ला खलासी लाइन थाना कर्नलगंज, कानपुर के एक मकान में जिसके एक भाग में सरस्वती शिशु मन्दिर स्थित है मकान मालिक और सरस्वती शिशु मन्दिर के अध्यापकों व रिक्शेवालों में मारपीट हुई थी जिसकी सूचना दोनों पक्षों की तरफ से थाने पर मिली । सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी घटना स्थल पर पहुंची । झगड़ा तब तक समाप्त हो चुका था । जांच में विद्यालय के शिक्षकों व रिक्शा चालकों को ज्यादती पाई गयी जिसके कारण पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी । पुलिस द्वारा किसी को मारा पीटा नहीं गया ।

चूंकि मकान में मारपीट की घटना हुई थी पुलिस को उसमें घुसने से पहले किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी । जो कुछ पुलिस ने किया वह अपने कर्त्तव्य पालन में एवं शांति और व्यवस्था कायम करने के लिये किया ।

मकान मालिक ने बाद में एक इस्तगासा विद्यालय के शिक्षकों व रिक्शा वालों पर दायर कर दिया जो न्यायालय में विचाराधीन है । अतः उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती ।

प्रेस ट्रस्ट

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १११ एल० ए०—१९६६—८४६ ।